



भारत सरकार,  
कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय,  
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग,  
कर्मचारी चयन आयोग,  
ब्लॉक सं० 12, केन्द्रीय कार्यालय परिसर,  
लोधी रोड, नईदिल्ली - 110003

Government of India,  
Min. of Personnel, Public Grievances &  
Pensions,  
Dept. of Training and Personnel,  
Staff Selection Commission  
Block No. 12, CGO Complex,  
Lodhi Road, New Delhi - 110003

[आयोग की वेबसाइट (<https://ssc.nic.in>) पर दिनांक 08.07.2022 को अपलोड करने  
हेतु]

**विज्ञप्ति**

**दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (ड्राइवर) - पुरुष परीक्षा, 2022**

ऑनलाइन आवेदनों के प्रस्तुतीकरण की तिथियां	08.07.2022 से 29.07.2022
ऑनलाईन आवेदनों की प्राप्ति की अंतिम तिथि एवं समय	29.07.2022 (2300 बजे)
ऑफलाइन चालान को तैयार करने की अंतिम तिथि एवं समय	29.07.2022 (2300 बजे)
ऑनलाइन शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि एवं समय	30.07.2022 (2300 बजे)
चालान के माध्यम से भुगतान की अंतिम तिथि (बैंक के कार्य समय के दौरान)	30.07.2022
'आवेदन पत्र में संशोधन करने हेतु विंडो' और संशोधन हेतु सुधार शुल्क के ऑनलाईन भुगतान की तिथियां	02.08.2022 (2300 बजे)
कंप्यूटर आधारित परीक्षा का कार्यक्रम	अक्तूबर, 2022

फा.सं. 3/3/2022-नीएवं यो-1 - दिल्ली पुलिस और कर्मचारी चयन आयोग के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार कर्मचारी चयन आयोग दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (ड्राइवर) - पुरुष की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन करेगा। देश के सभी भागों से अभ्यर्थी आवेदन करने के पात्र होंगे। इस भर्ती की प्रमुख विशेषताएं निम्नानुसार हैं: -

- 1.1 दिल्ली पुलिस द्वारा सूचित रिक्तियों के आधार पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा परीक्षा का विज्ञापन दिया जाएगा।
- 1.2 कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आवेदन केवल ऑनलाईन माध्यम के जरिए ही स्वीकार किए जाएंगे।

- 1.3 आयोग द्वारा कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीई) प्रणाली में परीक्षा केवल अंग्रेजी और हिंदी में आयोजित की जाएगी।
- 1.4 शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) तथा ट्रेड परीक्षा की समय सारणी दिल्ली पुलिस द्वारा बनाई जाएगी और उसका आयोजन दिल्ली में किया जाएगा।
- 1.5 शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) और ट्रेड परीक्षा के आयोजन के बाद दिल्ली पुलिस कर्मचारी चयन आयोग द्वारा दिए गए 'वेब-टूल' पर प्रत्येक अभ्यर्थी के परिणाम को अद्यतित करेगी।
- 1.6 कांस्टेबल (ड्राइवर) का पद दिव्यांगजनों और महिला अभ्यर्थियों के लिए उपयुक्त नहीं है।
- 1.7 अभ्यर्थियों से अपेक्षित पात्रता प्रमाणपत्रों/दस्तावेजों का संग्रह और मूल प्रमाणपत्रों के साथ उनका सत्यापन दिल्ली पुलिस द्वारा पीईएंडएमटी के समय किया जाएगा।
- 1.8 अंतिम परिणाम आयोग द्वारा घोषित किया जाएगा।
- 1.9 परीक्षा-विज्ञप्ति, ऑनलाइन आवेदनों, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने और मेरिट सूची तैयार करने से संबंधित आरटीआई / लोक शिकायतों पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- 1.10 परीक्षा-विज्ञप्ति, कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने, पीईएंडएमटी में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करने, ट्रेड परीक्षा आयोजित करने, अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम तैयार करने से संबंधित दिल्ली में दायर अदालती मामलों पर दिल्ली पुलिस द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इन मामलों पर अन्य क्षेत्रों में दायर अदालती मामलों पर कर्मचारी चयन आयोग द्वारा कार्रवाई की जाएगी।
- 1.11 अन्य सभी मुद्दों, जैसे- परीक्षा की रूप-रेखा, रिक्तियों की संख्या, शारीरिक क्षमता एवं मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी), ट्रेड परीक्षा, दस्तावेज सत्यापन, चिकित्सा परीक्षा आदि से संबंधित अदालती मामलों / आरटीआई / लोक शिकायतों, अभ्यावेदनों पर कार्रवाई दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी।

2. **वेतन स्तर:** वेतन स्तर-3 (Rs. 21700- 69100)

3. **रिक्तियां :** कांस्टेबल (ड्राइवर) -पुरुष के लिए अनंतिम रिक्तियां

श्रेणी	सामान्य अना	आकव	अपिव	अजा	अजजा	कुल
खुली	543	128	318	236	45	1270
भूपूसै	61	14	35	26	05	141
कुल	604	142	353	262	50	1411

3.1 आयोग दिल्ली पुलिस द्वारा रिपोर्ट की गई रिक्तियों के अनुसार अभ्यर्थियों का चयन करेगा। दिल्ली पुलिस की रिक्तियों की संख्या तय करने में आयोग की कोई भूमिका नहीं है। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन, आरक्षण रोस्टर बनाए रखना और विभिन्न श्रेणियों के लिए रिक्तियों का निर्धारण दिल्ली पुलिस के अधिकार क्षेत्र में आता है।

4. **राष्ट्रीयता / नागरिकता:** अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।

4.1 **आयु सीमा:** 01.07.2022 को 21 से 30 वर्ष। अभ्यर्थी का जन्म 02-07-1992 से पहले और 01-07-2001 के बाद न हुआ हो।

4.2 विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुज्ञेय छूट निम्नानुसार है:

कोड सं.	श्रेणी	ऊपरी आयु सीमा के अतिरिक्त आयु में अनुज्ञेय छूट
01	अजा/ अजजा	05 वर्ष
02	अपिव	03 वर्ष
06	भूतपूर्व सैनिक	ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से की गई सैन्य सेवा की अवधि घटाने के बाद 03 वर्ष
08	विशेष योग्यता प्राप्त खिलाड़ी जिन्होंने आनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है (खेलों की सूची अनुबंध IX पर है)।	05 वर्ष
09	विशेष योग्यता प्राप्त खिलाड़ी जिन्होंने आनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के दौरान खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर राज्य का या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व किया है (अजा /अजजा) (खेलों की सूची अनुबंध IX पर है)।	10 वर्ष
10	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अनारक्षित)	आयु 40 वर्ष तक
11	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अपिव)	आयु 43 वर्ष तक
12	दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थी (अजा / अजजा)	आयु 45 वर्ष तक

- 4.3 ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी द्वारा भरी गई वही जन्म तिथि जो मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज की गई हो, आयोग द्वारा आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार की जाएगी और बाद में इसे बदलने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा या अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 4.4 दिल्ली पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के अजा /अजजा /अपिव / पहाड़ी क्षेत्र श्रेणियों के बच्चे दोहरी छूट पाने के हकदार नहीं होंगे। वे या तो अपनी श्रेणी में या दिल्ली पुलिस कर्मियों और दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग स्टाफ के वार्ड के रूप में छूट का लाभ उठा सकते हैं।
- 4.5 ऊंचाई/सीने और शैक्षिक योग्यता से संबंधित छूट दिल्ली पुलिस के केवल उन्हीं कर्मियों और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के बच्चों के लिए दी जाएगी, जिन्हें दंड के रूप में बर्खास्तगी/पद से हटाने/सेवा समाप्ति या अनिवार्य सेवानिवृत्ति की सजा न दी गई हो।

- 4.6 "विभागीय अभ्यर्थी" का अभिप्राय उस व्यक्ति से है जिसने ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर दिल्ली पुलिस में न्यूनतम तीन साल की निरंतर सेवा की है और जो अन्यथा सभी शैक्षणिक और अन्य शारीरिक योग्यताओं को पूरा करता है।
- 4.7 भूतपूर्व सैनिक जिन्हें केंद्रीय राजस्व से भुगतान किया जाता है, यदि उनका सेवामुक्ति प्रमाण पत्र पिछली सेवा को अच्छा या उससे उच्चतर / ग्रेडिंग के रूप में दर्शाता है, वे नियुक्ति प्राधिकारी के विवेक पर कांस्टेबल (ड्राइवर) के रूप में पुनः सूचीबद्ध होने के पात्र हैं, बशर्ते कि:
- 4.7.1 वे खुली प्रतियोगिता हेतु कांस्टेबल (ड्राइवर) के लिए निर्धारित शैक्षिक मानकों के अनुरूप हों और उन्होंने यथा-निर्धारित क्षमता/दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो।
- 4.7.2 वे भर्ती के लिए निर्धारित मानकों के अनुसार पुलिस सेवा के लिए चिकित्सकीय रूप से फिट हैं।
- 4.8 ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्होंने अपने पुनर्नियोजन हेतु भूतपूर्व सैनिक को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ लेते हुए केंद्र सरकार (राज्य सरकार / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों / स्वायत्त निकायों / सांविधिक निकायों / राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित ) के अधीन समूह 'ग' और 'घ' पदों पर नियमित आधार पर पहले ही रोजगार हासिल कर लिया है, उन्हें उच्चतर ग्रेड में या समूह - ग / घ पदों में अन्य रोजगार हासिल करने के लिए भूतपूर्व सैनिक के लिए यथा-निर्धारित आयु में छूट का लाभ दिया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ के पत्र नहीं होंगे। तथापि, यदि कोई भूपूँसै जब कोई सिविल रोजगार प्राप्त करने से पहले विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन करता है, तो वह किसी भी बाद के रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकता है। कोई भी भूतपूर्व सैनिक जैसे ही किसी सिविल रोजगार में कार्य ग्रहण करता है, उसे संबंधित नियोक्ता को उन सभी विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदन के तिथि-वार विवरण के बारे में स्व-घोषणा / वचनबद्धता देनी चाहिए जिनके लिए उसने पहली नौकरी प्राप्त करने से पहले आवेदन किया था।
- 4.9 सशस्त्र बलों में एक भूतपूर्व सैनिक की "कॉल अप सर्विस" की अवधि को भी आयु में छूट के उद्देश्य से सशस्त्र बलों में की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।
- 4.10 संघ के सशस्त्र बलों में सेवारत व्यक्ति, जो सेवा से सेवानिवृत्त होने पर, "भूतपूर्व सैनिक" की श्रेणी में आएं, उन्हें सेवावधि की निर्दिष्ट शर्तों के पूरा होने से एक वर्ष पहले पुनर्नियोजन हेतु आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है और वे भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध सभी रियायतों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन जब तक वे संघ के सशस्त्र बलों में रहने की निर्दिष्ट अवधि को पूरा नहीं कर लेते, तब तक उन्हें वर्दी छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 4.11 ऐसे सभी अभ्यर्थी जो सशस्त्र बलों में सेवारत हैं और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आवेदन करना चाहते हैं, उन्हें दस्तावेज सत्यापन के समय अपने विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र जमा कराना अनिवार्य होगा जिसमें सशस्त्र बलों से उनकी सेवा निर्मुक्ति की तारीख का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा। सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त होने की तिथि / सशस्त्र बलों में रहने की निर्दिष्ट अवधि पूरी करने की तिथि ऑनलाइन आवेदनपत्र प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर होनी चाहिए। ऐसे अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिकों का दर्जा भी प्राप्त करना होगा।

4.12 एक मैट्रिक भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सैन्य शिक्षा का विशेष प्रमाणपत्र या नौ सेना या वायु सेना में तदनुरूपी प्रमाणपत्र प्राप्त किया है) जिसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को संघ की सशस्त्र सेनाओं में कम से कम 15 वर्ष की सेवा की हो, को उस पद पर नियुक्ति के लिए पात्र माना जा सकता है जिसके लिए अनिवार्य शैक्षिक योग्यता स्नातक है और जहां तकनीकी या व्यावसायिक प्रकृति का अनुभव अनिवार्य ना हो।

4.13 भूतपूर्व सैनिकों के पुत्र-पुत्रियों और आश्रितों को आयु सीमा में छूट स्वीकार्य नहीं है। अतः ऐसे अभ्यर्थियों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं दर्शानी चाहिए।

4.14 **स्पष्टीकरण:** भूपूसै से आशय उस व्यक्ति से है-

4.14.1 जिसने भारतीय संघ की नियमित थल सेना, नौ सेना या वायु सेना में लड़ाकू सैनिक अथवा गैर लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, तथा

- (i) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त अथवा कार्यमुक्त हुआ हो; अथवा
- (ii) जिसकी सेवा निवृत्ति की पुस्तिका में भूतपूर्व सैनिक पृष्ठांकित किया गया हो; अथवा
- (iii) जिसे सैनिक सेवा/अपने नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण ऐसी सेवा से चिकित्सा आधार पर कार्यमुक्त किया गया हो तथा जिसे चिकित्सा अथवा अन्य अशक्तता पेंशन दी गई हो; अथवा
- (iv) जिसे अपने अनुरोध पर सेवामुक्त न करके कर्मचारियों की कटौती के कारण ऐसी सेवा से मुक्त किया गया हो; अथवा
- (v) जिसे सेवा की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण सेवामुक्त या बर्खास्त न होकर किसी अन्य कारण से सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा उपदान दिया गया हो और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, नामतः
  - क. निरंतर मूर्त्त सेवा वाले पेंशनधारी;
  - ख. सैन्य सेवा के कारण दिव्यांग हुए व्यक्ति
  - ग. वीरता पुरस्कार विजेता

4.14.2 प्रादेशिक सेनाओं के कार्मिकों को दिनांक 15.11.1986 से भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा।

## 5. प्रमाणन की प्रक्रिया एवं प्रमाण पत्रों का प्रारूप:

- 5.1 जो अभ्यर्थी आरक्षित रिक्तियों के लिए विचार किए जाने अथवा आयु में छूट पाने के इच्छुक हैं, उन्हें निर्धारित प्रपत्र (जहां कहीं निर्दिष्ट किया गया हो) में सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त अपेक्षित प्रमाणपत्र उस समय प्रस्तुत करना होगा, जब इन प्रमाणपत्रों की दिल्ली पुलिस द्वारा दस्तावेज सत्यापन के समय मांग की जाए। अन्यथा अजा / अजजा / अपिव / आकव आदि के उनके दावे को स्वीकार नहीं किया जाएगा तथा उनकी अभ्यर्थिता/आवेदन पत्रों को अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत माना जाएगा। इसके अतिरिक्त, यदि किसी अभ्यर्थी ने आयु में किसी अन्य छूट की मांग की है और वह प्रासंगिक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं है, तो उसकी श्रेणी के मानदंडों को पूरा करने के अध्यक्षीन उसे उसकी संबंधित श्रेणी अर्थात् अजा / अजजा / अपिव / आकव / अना आदि में माना जाएगा। प्रमाणपत्रों के प्रारूप इस परीक्षा की विज्ञप्ति के साथ संलग्न है।
- 5.2 अन्य पिछड़ा वर्ग के अंतर्गत लाभ का दावा करने वाले अभ्यर्थी केंद्रीय सूची में अधिसूचित जातियों के अनुसार होंगे। यह छूट उन अभ्यर्थियों के लिए भी स्वीकार्य होगी जिन्हें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार द्वारा अपिव प्रमाणपत्र जारी किया गया है। उन्हें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे पात्रतानुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं और निर्णायक तिथि पर क्रीमी लेयर में नहीं आते हैं। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।
- 5.3 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/आकव श्रेणी में आरक्षण लाभ चाहने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे निर्णायक तिथि पर पात्रतानुसार इस तरह के आरक्षण के हकदार हैं। उनके पास जाति/समुदाय प्रमाणपत्र भी होना चाहिए। इस प्रयोजन के लिए निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

## 6. अनिवार्य योग्यता

- (क) दिनांक 29.7.2022 अर्थात् ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड से 10+2 (उच्चतर माध्यमिक) परीक्षा उत्तीर्ण।
- (ख) आत्मविश्वास के साथ भारी वाहन चलाने में सक्षम होना चाहिए।
- (ग) उसके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस होना चाहिए (ऑनलाइन आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को)।
- (घ) वाहन के रख-रखाव का ज्ञान होना चाहिए।
- 6.1 जिन अभ्यर्थियों ने निर्धारित तिथि तक अनिवार्य योग्यता हासिल नहीं की है, वे पात्र नहीं होंगे और उन्हें आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। प्रशिक्षु लाइसेंस स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- 6.2 भारत के राजपत्र में प्रकाशित मानव संसाधन विकास मंत्रालय की दिनांक 10.06.2015 की अधिसूचना के अनुसार संसद अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के अंतर्गत विश्वविद्यालयवत संस्थाओं और संसद के किसी अधिनियम के अंतर्गत घोषित राष्ट्रीय महत्व की संस्थाओं द्वारा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षण पद्धति के माध्यम से प्रदान किए गए प्रमाणपत्र केंद्र सरकार के अंतर्गत पदों और सेवाओं में नियोजन के प्रयोजन मान्यता प्राप्त हैं, बशर्ते कि उनको दूरस्थ शिक्षा ब्यूरो, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से अनुमोदन प्राप्त हो। तथापि, ऐसी डिग्रियों को उस प्रासंगिक अवधि के लिए मान्यता दी हुई होनी चाहिए जब उक्त अभ्यर्थी द्वारा वह योग्यता हासिल की गई हो।

- 6.3 भारत के राजपत्र के भाग-III (8) (v) में दिनांक 23.06.2017 को प्रकाशित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (मुक्त एवं दूरस्थ अभिगम) विनियम, 2017 के अनुसार, मुक्त एवं दूरस्थ अभिगम माध्यम से अभियांत्रिकी, चिकित्सा, दंत चिकित्सा, नर्सिंग, औषध विज्ञान, वास्तुकला और भौतिक चिकित्सा आदि के कार्यक्रमों को अनुमति नहीं दी गई है। तथापि बी.टेक डिग्री / अभियांत्रिकी में डिप्लोमा, जो इयू द्वारा शैक्षणिक वर्ष 2009-10 तक नामांकित छात्रों को प्रदान किया गया था, जहाँ कहीं भी लागू हो, उसे मान्य माना जाएगा।
- 6.4 शारीरिक क्षमता और मापदंड परीक्षा (पीईएंडएमटी) हेतु आयोग द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों को दिनांक 29.07.2022 (अर्थात् ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि) को या उससे पहले न्यूनतम शैक्षिक योग्यता अर्जित करने के साक्ष्य के रूप में संगत प्रमाणपत्र, जैसे- अंक-पत्र, अनंतिम प्रमाणपत्र आदि प्रस्तुत करने होंगे, जिसमें विफल होने पर ऐसे अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। जो अभ्यर्थी यह साबित करने में सक्षम होंगे कि अर्हक परीक्षा का परिणाम कट-ऑफ तारीख को या उससे पहले घोषित किया गया था और उसे उत्तीर्ण घोषित किया गया था, उन्हें भी शैक्षिक योग्यता को पूरा करने में सक्षम माना जाएगा। यह दोहराया जाता है कि अपेक्षित शैक्षिक योग्यता का परिणाम संबंधित बोर्ड द्वारा निर्दिष्ट तिथि तक घोषित हो जाना चाहिए। बोर्ड द्वारा निर्णायक कट-ऑफ तिथि तक केवल परिणाम तैयार किया जाना शैक्षिक योग्यता की अपेक्षा को पूरा नहीं करता है।
- 6.5 **एनसीसी प्रमाणपत्र धारकों को प्रोत्साहन :** 'एनसीसी प्रमाणपत्र' धारकों को प्रोत्साहन निम्नलिखित स्तरों पर दिया जाएगा:

प्रमाणपत्र श्रेणी	प्रोत्साहन / बोनस अंक
एनसीसी 'सी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5%
एनसीसी 'बी' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3%
एनसीसी 'ए' प्रमाणपत्र	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2%

**नोट :**

(i) यह लाभ केवल दस्तावेज़ सत्यापन (अर्थात् पीईएंडएमटी) के समय उनके दावों (सत्यापन के अधीन) का समर्थन करने वाले मूल प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ निर्णायक तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी। यह लाभ भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध नहीं है।

- 6.6 **अतिरिक्त अंकों का लाभ :** राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदान की गई डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाणपत्र धारक अभ्यर्थियों को अतिरिक्त अंकों का लाभ दिया जाएगा जो निम्नलिखित मापकों पर होगा :-

डिग्री/स्नातकोत्तर डिप्लोमा में प्राप्त श्रेणी	दिए जाने वाले अतिरिक्त अंक
विशेष योग्यता	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5 %
प्रथम श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 4 %
द्वितीय श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 3 %
पास श्रेणी	परीक्षा के अधिकतम अंकों का 2 %

**नोट :**

- (i) लाभ केवल दस्तावेज़ सत्यापन (अर्थात पीईएंडएमटी) के समय उनके दावों (सत्यापन के अधीन) का समर्थन करने वाले मूल प्रमाणपत्र के प्रस्तुत करने पर ही दिया जाएगा। इस प्रयोजनार्थ महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

#### 7. आवेदन कैसे करें:

- 7.1 आवेदन क.च.आ. मुख्यालय की वेबसाइट अर्थात <https://ssc.nic.in> पर केवल ऑनलाइन ही जमा किए जाने चाहिए। विस्तृत निर्देशों के लिए कृपया इस विज्ञप्ति का अनुबंध-I और अनुबंध-II देखें। एकबारगी पंजीकरण और ऑनलाइन आवेदनपत्र का नमूना प्रपत्र क्रमशः अनुबंध-I क और अनुबंध-II क के रूप में संलग्न है।
- 7.2 एकबारगी पंजीकरण प्रक्रिया (अनुबंध-I में दिए गए विवरण के अनुसार) में अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किए गए हाल की रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो (अर्थात तीन महीने से अधिक पुरानी न हो) अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और बिना चश्मे का होना चाहिए और चेहरे का अग्र-भाग दिखाई देना चाहिए। फोटोग्राफ का स्वीकार्य/अस्वीकार्य नमूना अनुबंध-V पर दिया गया है।
- 7.3 ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि और समय **29-07-2022 (2300बजे)** है।
- 7.4 अभ्यर्थियों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें और अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमाकर दें क्योंकि अंतिम दिनों में नेटवर्क व्यस्त होने के कारण संपर्क में बाधा हो सकती है और लॉगइन करने में विफलता हो सकती है।
- 7.5 आयोग उक्त कारणों से या अपने नियंत्रण से परे किसी अन्य कारण से अभ्यर्थियों द्वारा अंतिम तिथि के भीतर अपने आवेदन प्रस्तुत न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- 7.6 ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थियों को यह जांच कर लेनी चाहिए कि उन्होंने आवेदन के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है।

#### 8. आवेदन शुल्क और भुगतान का तरीका:

- 8.1 देय शुल्क: 100 / - रुपये (एक सौ रुपए मात्र)।
- 8.2 अनुसूचित जाति (अ.जा.), अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.), और आरक्षण के पात्र भूतपूर्व सैनिकों (भू.पू.सै.) को शुल्क का भुगतान करने से छूट दी गई है।
- 8.3 शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग के माध्यम से, वीजा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके अथवा एसबीआई की शाखा में नकद भुगतान करके एसबीआई चालान बनवा कर किया जा सकता है।
- 8.4 अभ्यर्थी ऑनलाइन शुल्क का भुगतान दिनांक **30.07.2022 (2300बजे)** तक कर सकते हैं। तथापि वे अभ्यर्थी जो भारतीय स्टेट बैंक के चालान के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, वे **30.07.2022** तक बैंक के कार्य समय के भीतर भारतीय स्टेट बैंक की निर्धारित शाखाओं में नकद भुगतान कर सकते हैं, बशर्ते कि उन्होंने दिनांक **29.07.2022 (2300 बजे)** तक चालान बनवा लिया है।
- 8.5 निर्धारित शुल्क के बिना प्राप्त किए गए आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। इस निरस्तता के संबंध में कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। एक बार भुगतान किए गए शुल्क को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

8.6 जिन अभ्यर्थियों को शुल्क भुगतान से छूट नहीं दी गई है, उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका शुल्क कर्मचारी चयन आयोग को जमा कर दिया गया है। यदि शुल्क क.च.आ. को प्राप्त नहीं होता है, तो आवेदनपत्र की स्थिति 'अपूर्ण' दर्शाई जाएगी और यह जानकारी ऑनलाइन आवेदनपत्र के प्रिंटआउट के शीर्ष पर छपी होगी। इसके अलावा, शुल्क भुगतान की स्थिति को अभ्यर्थी के लॉगिन स्क्रीन में दिए गए "भुगतान की स्थिति" लिंक पर सत्यापित किया जा सकता है। ऐसे आवेदन जो शुल्क न मिलने के कारण अपूर्ण रह जाते हैं, उन्हें सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा और परीक्षा विज्ञप्ति में निर्दिष्ट अवधि के बाद ऐसे आवेदनों पर विचार करने और शुल्क भुगतान करने का कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

9. **आवेदन पत्र में संशोधन करने के लिए विंडो [02.08.2022 (23:00 बजे)]:**

9.1 आयोग ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, ऑनलाइन आवेदन संबंधी प्राविष्टियों को ठीक / संशोधित करने के लिए अभ्यर्थियों को 1 दिन की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को उनकी आवश्यकता के अनुसार एकबारगी पंजीकरण / ऑनलाइन आवेदन डेटा में अपेक्षित संशोधन / परिवर्तन करने के बाद आवेदन फिर से जमा करने की अनुमति दी जाएगी।

9.2 किसी भी अभ्यर्थी को 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' का उपयोग करने के दौरान अपने आवेदन को संशोधित करने और संशोधित आवेदन को फिर से जमा करने के लिए दो बार अनुमति दी जाएगी, अर्थात् यदि उसने अपने अद्यतित आवेदन में भी गलती की है, तो उसे अपेक्षित सुधार/संशोधन करने के बाद एक बार फिर से सही आवेदन जमा करने की अनुमति दी जाएगी। किसी भी परिस्थिति में आवेदन पत्र में कोई और संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

9.3 केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र में संशोधन करने की अनुमति दी जाएगी, जिनके सभी प्रकार से पूरे ऑनलाइन आवेदन अपेक्षित शुल्क के भुगतान के साथ, आयोग द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त किए गए हैं।

9.4 नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा जमा किए गए पिछले आवेदन (नों) को निरस्त कर दिया जाएगा।

9.5 आयोग पहली बार आवेदन पत्र में संशोधन करने और संशोधित / सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 200/- और दूसरी बार संशोधन करने और संशोधित / सही आवेदन को जमा करने के लिए ₹ 500/- की एकसमान सुधार राशि लगाएगा। सुधार राशि सभी अभ्यर्थियों पर लागू होगी चाहे उनका लिंग / श्रेणी कुछ भी हो।

9.6 सुधार राशि का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यम से भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग या वीज़ा, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड का उपयोग करके किया जा सकता है।

9.7 एक बार भुगतान की गई सुधार राशि को किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

9.8 संशोधित आवेदन जमा करने से पहले अभ्यर्थी यह जांच कर लें कि उन्होंने फार्म के प्रत्येक स्थान में सही विवरण भरा है। 'आवेदनपत्र में संशोधन करने के लिए विंडो' की अवधि के समाप्त होने के पश्चात किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिवर्तन / सुधार / संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फ़ैक्स, ईमेल, दस्ती आदि किसी भी माध्यम से प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।

10. **परीक्षा केंद्र :**

14.1 अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदनपत्र में उन केंद्रों को अवश्य इंगित करना चाहिए जिसमें वह परीक्षा देना चाहता है। परीक्षा केंद्रों और क्षेत्रीय कार्यालयों जिनके अंतर्गत ये परीक्षा केंद्र स्थित हैं, के विवरण इस प्रकार हैं:

क्र. स.	परीक्षा केंद्र और केंद्र कोड	कर्मचारी चयन आयोग के क्षेत्र तथा उनके क्षेत्राधिकार के अधीन राज्य / संघ शासित राज्य	क्षेत्रीय कार्यालयों और उनकी वेबसाइटों का पता
1	भागलपुर (3201), मुजफ्फरपुर (3205), पटना (3206), पूर्णिया (3209), आगरा (3001), बरेली (3005), गोरखपुर (3007), झांसी (3008), कानपुर (3009), लखनऊ (3010), मेरठ (3011), प्रयागराज (3003), वाराणसी (3013)	मध्य क्षेत्र (म.क्षे.) / बिहार और उत्तर प्रदेश	क्षेत्रीय निदेशक (म.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 34-ए, महात्मा गांधी मार्ग, सिविल लाइंस, केंद्रीय सदन, प्रयागराज - 211001 ( <a href="http://www.ssc-cr.org">www.ssc-cr.org</a> )
2	पोर्ट ब्लेयर (4802), धनबाद (4206), हजारीबाग (4204), जमशेदपुर (4207), रांची (4205), बालासोर (ओडिशा) (4601), बरहामपुर (ओडिशा) (4602), भुवनेश्वर (4604), कटक (4605), ढेंकेनाल (4611), राउरकेला (4610), संबलपुर (4609), गंगटोक (4001), आसनसोल (4417), कल्याणी (4419), कोलकाता (4410), सिलीगुड़ी (4415)	पूर्वी क्षेत्र (पू.क्षे.) / अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, झारखंड, ओडिशा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल	क्षेत्रीय निदेशक (पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, पहली एमएसओ बिल्डिंग, (8वीं मंजिल), 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल-700020 ( <a href="http://www.sscer.org">www.sscer.org</a> )
3	बेलगावी (9002), बेंगलुरु (9001), हुबली (9011), कलबुर्गी (गुलबर्गा) (9005), मंगलुरु (9008), मैसुरु (9009), शिवमोग्गा (9010), उडुपी (9012), कन्नूर (9202), कोल्लम (9210), कोट्टायम (9205), कोझीकोड (9206), त्रिशूर (9212), तिरुवनंतपुरम (9211)	कर्नाटक, केरल क्षेत्र (क.के.क्षे.) / लक्षद्वीप, कर्नाटक और केरल	क्षेत्रीय निदेशक (क.के.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, "ई" विंग, केन्द्रीय सदन, कोरमंगला, बेंगलुरु, कर्नाटक-560034 ( <a href="http://www.ssckkr.kar.nic.in">www.ssckkr.kar.nic.in</a> )
4	भोपाल (6001), ग्वालियर (6005), इंदौर (6006), जबलपुर (6007), सतना (6014), उज्जैन (6016), बिलासपुर (6202), रायपुर (6204), दुर्ग-भिलाई (6205)	मध्य प्रदेश क्षेत्र (म.प्र.क्षे.) / छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश	उप निदेशक (म.प्र.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, 5वां तल, निवेश भवन, एलआईसी कैंपस-2, पंडरी, रायपुर, छत्तीसगढ़-492004 ( <a href="http://www.sscmpr.org">www.sscmpr.org</a> )
5	ईटानगर (5001), डिब्रूगढ़ (5102), गुवाहाटी (दिसपुर) (5105), जोरहाट	उत्तर पूर्वी क्षेत्र (उ.पू.क्षे.) /	क्षेत्रीय निदेशक (उ.पू.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग,

	(5107), सिलचर (5111), चुराचंदपुर (5502), इंफाल (5501), उखरूल (5503), शिलांग (5401), आइजोल (5701), दीमापुर (5301), कोहिमा (5302), अगरतला (5601)	अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा।	हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, लास्ट गेट, बेलटोला-बशिष्ठ रोड, पीओ असम सचिवालय, दिसपुर, गुवाहाटी, असम-781006 ( <a href="http://www.sscner.org.in">www.sscner.org.in</a> )
6	देहरादून (2002), हल्द्वानी (2003), हरिद्वार (2005), रुड़की (2006), दिल्ली (2201), अजमेर (2401), अलवर (2402), बीकानेर (2404), जयपुर (2405), जोधपुर (2406), कोटा (2407), श्रीगंगानगर (2408), उदयपुर (2409), सीकर (2411)	उत्तरी क्षेत्र (उ.क्षे.) / दिल्ली, राजस्थान और उत्तराखंड	क्षेत्रीय निदेशक (उ.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003 ( <a href="http://www.sscnr.nic.in">www.sscnr.nic.in</a> )
7	चंडीगढ़ / मोहाली (1601), हमीरपुर (1202), शिमला (1203), जम्मू (1004), सांबा (1010), श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर) (1007) लेह (1005), अमृतसर (1404), जालंधर (1402), लुधियाना (1405) पटियाला (1403)	उत्तर पश्चिमी क्षेत्र (उ.प.क्षे.) / चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और पंजाब	उप निदेशक (उ.प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक नंबर 3, भूतल, केंद्रीय सदन, सेक्टर-9, चंडीगढ़-160009 ( <a href="http://www.sscnwr.org">www.sscnwr.org</a> )
8	चिराला (8011), गुंटूर (8001), काकीनाडा (8009), कुरनूल (8003), नेल्लोर (8010), राजमुंदरी (8004), तिरुपति (8006), विजयनगरम (8012), विजयवाड़ा (8008), विशाखापत्तनम (8007), चेन्नै (8201), कोयंबटूर (8202), मदुरै (8204), सेलम (8205), तिरुचिरापल्ली (8206), तिरुनेलवेली (8207), वेल्लोर (8208), हैदराबाद (8601), करीमनगर (8604), वारंगल (8603)	दक्षिणी क्षेत्र (द.क्षे.) / आंध्र प्रदेश, पुडुचेरी, तमिलनाडु और तेलंगाना।	क्षेत्रीय निदेशक (द.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, दूसरा तल, ईवीके संपत बिल्डिंग, डीपीआई कैम्पस, कॉलेज रोड, चेन्नै, तमिलनाडु-600006 ( <a href="http://www.sscsr.gov.in">www.sscsr.gov.in</a> )
9	पणजी (7801), अहमदाबाद (7001), आनंद (7011), गांधीनगर (7012), मेहसाणा (7013), राजकोट (7006), सूरत (7007), वडोदरा (7002), अमरावती (7201), औरंगाबाद (7202), जलगांव (7214), कोल्हापुर (7203), मुंबई (7204), नागपुर (7205), नांदेड़ (7206), नासिक (7207), पुणे (7208)	पश्चिमी क्षेत्र (प.क्षे.) / दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात और महाराष्ट्र	क्षेत्रीय निदेशक (प.क्षे.), कर्मचारी चयन आयोग, प्रथम तल, साउथ विंग, प्रतिष्ठा भवन, 101, महर्षि कर्वे रोड, मुंबई, महाराष्ट्र-400020 ( <a href="http://www.sscwr.net">www.sscwr.net</a> )

- 10.2 अभ्यर्थी को एक ही क्षेत्र के भीतर प्राथमिकता के क्रम में तीन केन्द्रों का विकल्प देना होगा। किसी भी परिस्थिति में केन्द्र परिवर्तन हेतु किसी भी अनुरोध पर बाद में विचार नहीं किया जाएगा। अतः अभ्यर्थियों को केन्द्रों का चयन सावधानीपूर्वक करना चाहिए और अपने आवेदनों में इन्हें ठीक से इंगित करना चाहिए।
- 10.3 आयोग अभ्यर्थियों को उनके द्वारा चुने गए केंद्रों में समायोजित करने का प्रयास करेगा। तथापि, आयोग को यह अधिकार है कि वह किसी भी केंद्र को रद्द कर दे और उस केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा में बैठने के लिए कहे। आयोग को किसी भी केंद्र के अभ्यर्थियों को किसी अन्य केंद्र से परीक्षा देने के लिए कहने का अधिकार भी है।

## 11. परीक्षा की योजना

11.1 परीक्षा में निम्नलिखित चरण शामिल होंगे:

- i. कंप्यूटर आधारित परीक्षा,
- ii. शारीरिक दक्षता एवं मापन परीक्षा (पीई एंड एमटी)
- iii. ट्रेड परीक्षा एवं
- iv. संस्तुत अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा।

11.2 कंप्यूटर आधारित परीक्षा यदि बहु पालियों में आयोजित की गई है तो अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों को, आयोग द्वारा जारी नोटिस सं-1-1/2018-पी&पी-I दिनांक 07.2.2019 में प्रकाशित सिद्धान्त के प्रयोग से सामान्यीकृत किया जाएगा और ऐसे सामान्यकृत अंकों का प्रयोग अंतिम योग्यता और कट-ऑफ अंक निर्धारित करने के लिए किया जाएगा।

11.3 **कंप्यूटर आधारित परीक्षा:** कंप्यूटर आधारित परीक्षा एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का पेपर होगा जिसमें 100 अंकों के 100 प्रश्न होंगे। उनकी संरचना निम्नलिखित होगी:

	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	अवधि
भाग- क	सामान्य जानकारी	20	20	90 मिनट
भाग- ख	सामान्य बुद्धिमत्ता	20	20	
भाग- ग	संख्यात्मक क्षमता	10	10	
भाग- घ	रोड सेंस, वाहन रखरखाव, परिवहन नियम / सिग्नल वाहन और पर्यावरण प्रदूषण अर्थात् पेट्रोल और डीजल वाहन, सीएनजी संचालित वाहन, ध्वनि प्रदूषण आदि।	50	50	
योग		100	100	

11.4 प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 नकारात्मक अंक दिए जाएंगे। अतएव, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे प्रश्नों का उत्तर देते समय इस तथ्य को ध्यान में रखें।

11.5 कंप्यूटर आधारित परीक्षा सिर्फ अंग्रेजी एवं हिंदी में आयोजित की जाएगी।

11.6 परीक्षा के बाद अनंतिम उत्तर-कुंजी आयोग की वेबसाइट पर डाल दी जाएगी। अभ्यर्थी उत्तर-कुंजी को अच्छी तरह से देख सकते हैं और केवल ऑनलाईन माध्यम से आयोग द्वारा दी गई समय सीमा के भीतर 100 रुपए प्रति प्रश्न के भुगतान पर अभ्यावेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकते हैं। उत्तर-कुंजी अपलोड करने के समय, आयोग द्वारा निर्धारित समय-सीमा के अंदर प्राप्त, उत्तर-कुंजी से संबन्धित किसी भी अभ्यावेदन की उत्तर-कुंजी को अंतिम रूप देने से पहले जांच की जाएगी। और इस संबंध में आयोग का निर्णय ही अंतिम माना जाएगा। उत्तर-कुंजी से संबन्धित, बाद में प्राप्त किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

11.7 कंप्यूटर आधारित परीक्षा का पाठ्यक्रम निम्नानुसार होगा :

11.7.1 **भाग-क: सामान्य जानकारी:** इस भाग के प्रश्न का उद्देश्य अभ्यर्थी की उसके आसपास की सामान्य जानकारी का परीक्षण करना होगा। सामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन के अवलोकन के ऐसे मामलों के ज्ञान एवं उनके वैज्ञानिक पहलू संबंधी अनुभव की जांच करने हेतु भी प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी की अपेक्षा किसी शिक्षित व्यक्ति से की जा सकती है। परीक्षण में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न , विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, भारतीय अर्थव्यवस्था, सामान्य राजनीति, भारतीय संविधान, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे कि उन्हें किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं है।

11.7.2 **भाग-ख: तर्कशक्ति:** सैद्धान्तिक रूप से गैर-शाब्दिक प्रकार के प्रश्नों के माध्यम से विश्लेषणात्मक अभिरुचि देखने और प्रतिरूपों में भिन्नता करने की योग्यता आंकी जाएगी। इस घटक में सादृश्यों, समानताओं तथा अंतरों, स्थानिक कल्पना, स्थानिक अभिविन्यास, दृश्य स्मृति, विभेद, अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क एवं आकृति संबंधी वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-शाब्दिक श्रृंखला, कोडिंग एवं डिकोडिंग इत्यादि पर प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है।

11.7.3 **भाग-ग: संख्यात्मक क्षमता:** इस प्रश्नपत्र में संख्या प्रणाली से संबंधित समस्याओं, पूर्णाकों का अभिकलन, दशमलव और भिन्न तथा संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंकगणितीय संक्रियाएं, प्रतिशतता, अनुपात और समानुपात, औसत, ब्याज, लाभ-हानि, छूट, क्षेत्रमिति, समय और दूरी, अनुपात और समय, समय और कार्य, आदि से संबंधित प्रश्न शामिल किए जाएंगे।

11.7.4 **भाग-घ: रोड सेंस, वाहन रखरखाव, परिवहन नियम / सिग्नल साईनेज वाहन और पर्यावरण प्रदूषण** अर्थात् पेट्रोल और डीजल वाहन, सीएनजी संचालित वाहन, ध्वनि प्रदूषण आदि से संबंधित प्रश्न।

11.8 प्रश्न-पत्र 10वीं कक्षा स्तर के होंगे।

11.9 **शारीरिक दक्षता एवं मापन परीक्षा (पीई एंड एमटी):** शारीरिक दक्षता एवं मापन परीक्षा (पीई एंड एमटी) के मानक निम्नलिखित हैं:

11.10 **शारीरिक दक्षता परीक्षा:** अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के मानक, भूतपूर्व सैनिक एवं विभागीय अभ्यर्थियों (आयु-वार) सहित निम्नलिखित होंगे:

आयु	दौड़: 1600 मीटर	लम्बी कूद	ऊँची कूद
30 वर्ष तक	07 मिनट	12½ फीट	3½ फीट

		(12'6")	(3'6")
30 से 40 वर्ष तक	08 मिनट	11½ फीट (11'6")	3¼ फीट (3'3")
40 वर्ष से ऊपर	09 मिनट	10½ फीट (10'6")	3 फीट (3')

11.11 वे अभ्यर्थी जो दौड़ में अर्हता प्राप्त करते हैं, वे लंबी कूद और तदनंतर ऊंची कूद में उपस्थित होने के पात्र होंगे। अभ्यर्थी को दिए गए तीन अवसरों में से किसी भी एक अवसर में उसे लंबी कूद और ऊंची कूद को पार करना है। दौड़, लंबी कूद और ऊंची कूद में अयोग्य होने पर कोई अपील स्वीकार नहीं की जाएगी।

11.12 पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापन के मानक:

11.12.1 शारीरिक मापदंड परीक्षा केवल उन्हीं अभ्यर्थियों की ली जाएगी जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। पुरुष और महिला अभ्यर्थियों के लिए शारीरिक मापदंड के मानक निम्नानुसार होंगे:

11.12.2 ऊंचाई:- 170 सेमी., इनके लिए 5 सेमी. तक की छूट:-

11.12.2.1 पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात् गढ़वालियों, कुमाऊंनी, गोरखा, डोगरा, मराठों और सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर का कश्मीर क्षेत्र और लद्दाख (इस छूट का दावा करने वाले अभ्यर्थियों को शारीरिक मापन परीक्षा के समय अपने निवास स्थान के सक्षम प्राधिकारी अर्थात् डीसी / डीएम / एसडीएम या तहसीलदार द्वारा जारी इस तरह का प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा)। प्रमाण-पत्र का प्रारूप अनुबंध- 'XII' पर संलग्न है।

11.12.2.2 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए।

11.12.2.3 दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ के पुत्रों के लिए।

11.12.3 सीना: : 81 सेमी न्यूनतम 4 सेमी विस्तार के साथ (अर्थात् 81-85 सेमी) , इनके लिए 5 सेमी. तक की छूट:-

11.12.3.1 उपरोक्त पैरा-11.12.2.1 पर सूचीबद्ध पहाड़ी क्षेत्रों के निवासियों के लिए।

11.12.3.2 अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए।

11.12.3.3 दिल्ली पुलिस के सेवारत, सेवानिवृत्त या दिवंगत कर्मियों / दिल्ली पुलिस के मल्टी टास्किंग स्टाफ के पुत्रों के लिए।

11.13 उपर्युक्त उल्लिखित ऊंचाई/सीने की माप में छूट (जो कुछ भी हो) सिर्फ पीई एंड एमटी के समय अपेक्षित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर प्रदान किया जाएगा।

11.14 जिन अभ्यर्थियों को शारीरिक मानकों अर्थात् ऊंचाई, और सीने के अनुसार योग्य घोषित नहीं किया जाता है, यदि वे चाहें तो पीठासीन अधिकारी (पीओ) के माध्यम से केंद्र में नामित अपीलिय प्राधिकारी के समक्ष उसी दिन अपील कर सकते हैं। अपीलिय प्राधिकारी का निर्णय अंतिम माना जाएगा और उसके बाद इस संबंध में कोई अपील या अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। दौड़, लंबी कूद एवं ऊंची कूद में अनर्हता के विरुद्ध कोई अपील नहीं की जा सकती है।

11.15 पीई एंड एमटी, ट्रेड परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा की जिम्मेदारी केवल दिल्ली पुलिस की होगी। आयोग पीई एंड एमटी, ट्रेड परीक्षा एवं चिकित्सा परीक्षा के फैसले के खिलाफ किसी भी अभ्यावेदन/अपील/आरटीआई आवेदन/सीपीग्राम्स को स्वीकार नहीं करेगा।

#### 11.16 ट्रेड परीक्षा (अर्हकारी)

शारीरिक दक्षता और मापन परीक्षा (पीई एंड एमटी) में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। पीई एंड एमटी में अर्हता प्राप्त करने वाले सभी अभ्यर्थियों के ड्राइविंग लाइसेन्स को सत्यापित किया जाएगा, और केवल जिन अभ्यर्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस प्रमाणिक पाए जाएंगे उन्हें ट्रेड परीक्षा के समय अभ्यर्थी वैध ड्राइविंग लाइसेंस (मूल) भी प्रस्तुत करेंगे। जिन अभ्यर्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस जाली/नकली पाए जाएंगे उनके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

- क) अभ्यर्थियों के ड्राइविंग लाइसेंस की प्रामाणिकता का सत्यापन दिल्ली पुलिस द्वारा "डीजिलॉकर" का उपयोग करके किया जाएगा।
- ख) यदि ड्राइविंग लाइसेंस विभिन्न परिवहन प्राधिकरणों से जारी किया जाता है, तो प्रारंभिक चरण से एचटीवी/एचएमवी (अनुमोदन) के लिए ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा डेटा/विवरण सभी संबंधित जारी करने वाले परिवहन प्राधिकरणों से सत्यापित किया जाना चाहिए।
- ग) यदि ड्राइविंग लाइसेंस का पूरा विवरण (प्रारंभिक चरण से एचटीवी/एचएमवी अंतिम अनुमोदन, जैसा लागू हो) "डिजिलॉकर" में या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की वेबसाइट पर ऑनलाइन उपलब्ध नहीं है तो भारत सरकार, भर्ती प्रकोष्ठ, नई पुलिस लाइन, दिल्ली डीसीपी/विशेष शाखा के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस का सत्यापन करवाएगी।

ट्रेड परीक्षा 150 अंकों की होगी। ट्रेड परीक्षा में प्राप्त अंक अभ्यर्थी की योग्यता स्थिति का निर्धारण नहीं करेंगे क्योंकि यह अर्हक प्रकृति का है। तथापि, अभ्यर्थी को कम से कम न्यूनतम योग्यता अंक प्राप्त करने होंगे जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है ताकि आगे की प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जा सके। कोई भी अभ्यर्थी जो निम्नलिखित परीक्षा के किसी भी भाग में न्यूनतम अर्हक अंक हासिल नहीं करता है, उसे उस विशेष चरण से हटा दिया जाएगा और उसे आगे की परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ट्रेड परीक्षा में निम्नलिखित पहलू शामिल होंगे और बोर्ड प्रत्येक परीक्षा के अंक नीचे बताए अनुसार प्रदान करेगा:

क्र.सं.	परीक्षा	कुल अंक	अर्हक अंक
(i)	ड्राइविंग (हल्के मोटर वाहन) :- (क) ड्राइविंग (आगे) - (20 अंक) (ख) ड्राइविंग (पीछे) -20 अंक (ग) पार्किंग - (10 अंक)	50 अंक (प्रत्येक परीक्षा में 50% अर्थात क, ख एवं ग)	25 अंक
(ii)	ड्राइविंग (भारी मोटर वाहन) :- (क) ड्राइविंग (आगे) - (20 अंक) (ख) ड्राइविंग (पीछे) -20 अंक (ग) पार्किंग - (10 अंक)	50 अंक (प्रत्येक परीक्षा में 50% अर्थात क, ख एवं ग)	25 अंक
(iii)	ट्राफिक चिन्हों का ज्ञान/ रोड सेंस/ सामान्य ड्राइविंग नियम जैसे लेन ड्राइविंग, आगे निकालने का तरीका, रोड-मैप पहना, संभाव्य न्यूनतम रूट का आंकलन आदि (25 अंक)	25 अंक	12.5 अंक
(iv)	वाहन के रख-रखाव की जानकारी अर्थात टायर दबाव, बैटरी के पानी का स्तर, प्रयोग होने वाले ग्रेड ऑयल & उनकी मात्रा, कूलेंट, होस पाईप/ बेल्ट का दबाव आदि। (25 अंक)	25 अंक	12.5 अंक

## 12. चिकित्सा मानक:

12.1 अभ्यर्थियों का स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए और उन्हें कोई शारीरिक दोष/विकृति या बीमारी नहीं होनी चाहिए।

12.2 बेहतर दृष्टि 6/6 बिना चश्मे के। बदतर आँख 6/12 बिना चश्मे के। अभ्यर्थी को वर्णान्धता से मुक्त होना चाहिए। कोई भी छुट की अनुमति/ स्वीकार्य नहीं है।

12.3 दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 के समय-समय पर संशोधित नियम-17ए (XX) और नियम-24 (परिशिष्ट) में निर्धारित मानकों के अनुसार दिल्ली के चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों द्वारा चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सकीय जांच की जाएगी।

## 13. परीक्षा में प्रवेश

13.1 उन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु रोल नंबर और प्रवेश-पत्र दिया जाएगा, जो इस विज्ञापन के प्रत्युत्तर में अंतिम तारीख और समय तक अपना पंजीकरण कराते हैं और जिनके आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाते हैं और आयोग द्वारा परीक्षा की इस विज्ञप्ति में दी गई शर्तों के अनुसार अंतिम या अस्थायी रूप से स्वीकार किए जाते हैं। तदनंतर, अर्हक अभ्यर्थियों को परीक्षा के अगले स्तरों के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी किए जाएंगे।

13.2 आयोग कंप्यूटर आधारित परीक्षा के समय पात्रता और अन्य पहलुओं के लिए आवेदनों की विस्तृत जांच नहीं करेगा और इसलिए, अभ्यर्थिता केवल अंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। अभ्यर्थियों को शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक और चिकित्सा मानकों आदि की आवश्यकताओं के बारे में पढ़ने और उनके बारे में स्वयं को संतुष्ट करने की सलाह दी जाती है कि वे उक्त पद के लिए पात्र हैं। दस्तावेज़ सत्यापन के समय सहायक दस्तावेजों की प्रतियां मांगी जाएगी। जांच किए जाने के समय यदि आवेदन में किए गए किसी भी दावे को पुष्ट नहीं पाया जाता है, तो अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी और आयोग/ दिल्ली पुलिस का निर्णय अंतिम होगा।

13.3 कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र आयोग के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइटों पर ऑनलाइन जारी किए जाएंगे। परीक्षा के किसी भी स्तर के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र डाक द्वारा जारी नहीं किए जाएंगे। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे परीक्षा की अद्यतन जानकारी और सूचना के लिए आयोग मुख्यालय और संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइटों को नियमित रूप से देखते रहें।

13.4 परीक्षा के बारे में सूचनाएं, जिसमें परीक्षा की समय-सारणी और अभ्यर्थी के परीक्षा के शहर/केंद्र की जानकारी होगी, परीक्षा की तारीख से लगभग दो सप्ताह पहले आयोग की संबंधित क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी। यदि किसी अभ्यर्थी को परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पूर्व तक वेबसाइट पर अपना विवरण प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल आवेदन जमा करने के प्रमाण के साथ आयोग के संबंधित क्षेत्रीय/ उप-क्षेत्रीय कार्यालय से संपर्क करना चाहिए। ऐसा न करने पर वह परीक्षा में बैठने के अपने दावे पर विचार किए जाने से वंचित हो जाएगा।

13.5 अभ्यर्थी को आयोग के साथ कोई भी पत्राचार करते समय अपना पंजीकरण आईडी, पंजीकृत ईमेल आईडी, अपने नाम के साथ अपना मोबाइल नम्बर, जन्म तिथि और परीक्षा का नाम अवश्य लिखना चाहिए। इन विवरणों के न दिए जाने पर अभ्यर्थी के पत्राचार पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

13.6 प्रवेश प्रमाणपत्र डाउनलोड करने की सुविधा परीक्षा से लगभग 3-7 दिन पहले संबंधित क्षेत्रीय/उप-क्षेत्रीय कार्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश प्रमाण-पत्र का प्रिंटआउट परीक्षा हॉल में लाना होगा।

13.7 प्रवेश प्रमाण-पत्र के अलावा, कम से कम हाल ही की दो पासपोर्ट आकार के रंगीन फोटो, मूल वैध फोटो-आईडी साक्ष्य जिसमें वही जन्म तिथि लिखी हो जो प्रवेश प्रमाण-पत्र में छपी है, लाना अनिवार्य है, जैसे:

- 13.7.1 आधार कार्ड / ई-आधार का प्रिंटआउट,
- 13.7.2 मतदाता पहचान-पत्र,
- 13.7.3 ड्राइविंग लाइसेंस,
- 13.7.4 पैन कार्ड,
- 13.7.5 पासपोर्ट,
- 13.7.6 विश्वविद्यालय/कॉलेज/स्कूल द्वारा जारी पहचान पत्र,
- 13.7.7 नियुक्ता द्वारा जारी पहचान-पत्र (सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम)
- 13.7.8 रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी भूतभूव सैनिक की सेवा निवृत्ति पंजिका
- 13.7.9 केंद्र/राज्य सरकार द्वारा जारी वैध फोटो पहचान पत्र

13.8 यदि फोटो पहचान पत्र पर जन्मतिथि अंकित नहीं है, तो अभ्यर्थी को अपनी जन्म-तिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त मूल दस्तावेज (जैसे- सीबीएसई/आईसीएसई/राज्य बोर्ड द्वारा जारी मैट्रिक सर्टिफिकेट, अंक-पत्र; जन्म प्रमाण-पत्र, श्रेणी प्रमाण-पत्र) लाना चाहिए। यदि प्रवेश प्रमाण-पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्मतिथि के समर्थन में लाए गए फोटो पहचान पत्र/प्रमाण पत्र मेल नहीं खाते हैं तो अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

13.9 अभ्यर्थियों को परीक्षा में बैठने के लिए प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित अन्य दस्तावेज भी लाने होंगे।

13.10 धुंधली तस्वीर और/या हस्ताक्षर वाले आवेदन निरस्त कर दिए जाएंगे।

13.11 पीई एंड एमटी एवं ट्रेड परीक्षा में शामिल होने के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए अभ्यर्थियों के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी वेबसाइट (अर्थात् [www.delhipolice.nic.in](http://www.delhipolice.nic.in)) पर अपलोड किया जाएगा।

#### **14 दस्तावेज सत्यापन**

14.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए गए सभी अभ्यर्थियों और जो पीई एंड एमटी (अर्थात् दौड़, लंबी/ ऊंची कूद और शारीरिक माप) की सभी प्रतियोगिताओं में अर्हता प्राप्त करते हैं, उन्हें फोटोकॉपी और मूल दस्तावेजों के साथ जैसा कि पैरा संख्या: 14.3 में उल्लेख किया गया है, ट्रेड परीक्षा और दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा।

14.2 दस्तावेज सत्यापन के समय अभ्यर्थियों को हाल की पासपोर्ट आकार की दो रंगीन फोटो और एक मूल वैध फोटो पहचानपत्र साक्ष्य जैसा की उपरोक्त पैरा 13.7 पर सूचीबद्ध किया गया है, लाना होगा।

14.3 अभ्यर्थियों को विभिन्न दस्तावेजों की प्रतिलिपि जमा करनी होगी जैसे :-

14.3.1 मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक प्रमाणपत्र

14.3.2 आवश्यक शैक्षणिक योग्यता प्रमाण-पत्र

14.3.3 यदि कोई अभ्यर्थी समकक्ष योग्यता के रूप में किसी विशेष योग्यता का दावा कर रहा है, तो दावा की गई समकक्ष शैक्षणिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र (संख्या और दिनांक के साथ) जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो, जिसके तहत अनिवार्य योग्यता में समकक्ष खण्ड के संबंध में उसे ऐसा माना गया हो।

14.3.4 ड्राईविंग लाईसेंस जैसा कि विज्ञप्ति में उल्लिखित है।

14.3.5 जाति/वर्ग प्रमाण-पत्र, यदि आरक्षित वर्ग से हैं।

14.3.6 पहाड़ी क्षेत्र प्रमाण-पत्र (अनुबंध-XII), अगर लागू हो।

14.3.7 भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.) के लिए।

14.3.7.1 अनुबंध-III के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र, यदि लागू हो तो।

14.3.7.2 अनुबंध-IV के अनुसार वचनबंध।

14.3.7.3 यदि सशस्त्र बलों से सेवा मुक्त किया गया हो, तो सेवामुक्ति संबंधी प्रमाणपत्र

14.3.8 आयु-सीमा में छूट मांगने वालों के लिए संबन्धित दस्तावेज़।

14.3.9 दिल्ली पुलिस कर्मियों के आश्रितों को जारी किया गया आश्रित प्रमाण पत्र (अनुबंध-XIII), यदि लागू हो।

14.3.10 खेल प्रमाण पत्र (अनुबंध-X या XI), अगर लागू हो।

14.3.11 दिल्ली पुलिस के विभागीय अभ्यर्थियों का प्रमाण पत्र (अनुबंध-XIV), यदि लागू हो।

14.3.12 सरकार / सरकारी उपक्रमों में पहले से नियोजित मामले में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

14.3.13 एनसीसी प्रमाणपत्र-ए, बी या सी, यदि लागू हो।

14.3.14 आरआरयू प्रमाण पत्र, यदि लागू हो।

14.3.15 पीई एंड एमटी/ ट्रेड परीक्षा/डीवी के प्रवेश-पत्र में निर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज़।

## 15. चयन का तरीका:

15.1 इस भर्ती प्रक्रिया में कम्प्यूटर आधारित परीक्षा (सी.बी.ई.), शारीरिक दक्षता एवं मापन परीक्षा (पीई एंड एमटी), ट्रेड परीक्षा, दस्तावेज़ सत्यापन और अंतिम चयनित अभ्यर्थियों की चिकित्सा परीक्षा शामिल होगी।

15.2 उन सभी अभ्यर्थियों को कम्प्यूटर आधारित परीक्षा में बैठने हेतु बुलाया जाएगा, जिनके ऑनलाइन आवेदन सुव्यवस्थित पाए जाएंगे। आयोग सभी अभ्यर्थियों के लिए केवल कम्प्यूटर आधारित माध्यम से परीक्षा का आयोजन करेगा। कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र आयोग के संबन्धित क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे।

15.3 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा केवल अंग्रेजी एवं हिंदी में ली जाएगी।

15.4 अभ्यर्थियों द्वारा नीचे उल्लिखित कट-ऑफ अंक (सामान्यीकृत) प्राप्त करने पर अगले चरण अर्थात् पीई एंड एमटी के लिए शॉर्ट-लिस्ट करने के पात्रता पर विचार किया जाएगा :

15.4.1 अनारक्षित/ ईडब्ल्यूएस : 40

15.4.2	अ.जा./अ.ज.जा/अ.पि.व.	:	35
15.4.3	भू.पू.सै.	:	30

15.5 पीई एंड एमटी में उपस्थित होने के लिए अभ्यर्थियों को कंप्यूटर आधारित परीक्षा में उनकी योग्यता के आधार पर श्रेणी-वार शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा में योग्यता के आधार पर पीई एंड एमटी के लिए चुने गए अभ्यर्थियों की संख्या रिक्तियों की संख्या का लगभग 20 गुना होगी।

15.6 पीई एंड एमटी के लिए प्रवेश प्रमाण-पत्र दिल्ली पुलिस द्वारा उनकी वेबसाइट (अर्थात <https://delhipolice.gov.in>) पर जारी किया जाएगा। पीई एंड एमटी का आयोजन केवल दिल्ली में किया जाएगा।

15.7 पीईएंडएमटी अनिवार्य परंतु अर्हक प्रकृति का होगा।

15.8 पीईएंडएमटी में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ट्रेड परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा।

15.9 पीई एंड एमटी की सभी प्रतियोगिताओं में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों के लिए दस्तावेज सत्यापन (अर्थात अभ्यर्थियों से अपेक्षित योग्यता प्रमाण-पत्रों/दस्तावेजों का संग्रह और उनका मूल दस्तावेजों के साथ सत्यापन) का कार्य दिल्ली पुलिस द्वारा पीई एंड एमटी के समय किया जाएगा।

15.10 पीई एंड एमटी, ट्रेड परीक्षा एवं दस्तावेज सत्यापन में अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को अंतिम योग्यता सूची में शामिल करने पर विचार किया जाएगा।

15.11 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त कुल अंकों के आधार पर, अभ्यर्थियों की अनंतिम चयन सूची, प्रत्येक श्रेणी नामतः अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईडब्ल्यूएस और भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थियों के लिए अलग से बनाई जाएगी।

15.12 अजा, अजजा, अपिव और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के वे अभ्यर्थी जो अन्य वर्गों के अभ्यर्थियों के साथ मानकों में छूट के बिना ही अपनी योग्यता से चयनित होते हैं, उन्हें आरक्षित रिक्तियों के समक्ष समायोजित नहीं किया जाएगा। ऐसे अभ्यर्थियों को योग्यता सूची में उनकी समग्र स्थिति के अनुसार अनारक्षित रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया जाएगा। आरक्षित रिक्तियां अलग से अजा, अजजा, अपिव और भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के पात्र अभ्यर्थियों से भरी जाएंगी।

15.13 अजा, अजजा, अपिव तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थी, जो सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी के लिए निर्धारित मानकों की अपेक्षा मानकों अर्थात आयु सीमा, ऊँचाई तथा सीने की माप, अनुभव अथवा योग्यता, अवसरों की अनुमत्य संख्या में छूट तथा विस्तारित एक्सटेंडिड जोन ऑफ कंसीडरेशन के आधार पर अर्हता प्राप्त करते हैं, तो उनके योग्यता क्रम पर ध्यान दिए बिना, ऐसे अजा, अजजा, अपिव तथा भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के अभ्यर्थियों की आरक्षित रिक्तियों में गणना की जाए। जहां तक भूतपूर्व सैनिकों के मामलों का संबंध है, आरक्षित या अनारक्षित पदों के लिए पूर्व सैनिकों की आयु से प्रदान की गई सैन्य सेवा की कटौती अनुज्ञेय है और इस तरह की छूट को आयु के संबंध में छूट मानकों के रूप में कहा जाता है।

15.14 अनंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की दिल्ली पुलिस (नियुक्ति और भर्ती) नियम, 1980 के समय-समय पर संशोधित नियम-17 (XX) में निर्धारित मानकों के अनुसार दिल्ली के चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में

डॉक्टरों द्वारा चिकित्सकीय जांच की जाएगी। चिकित्सा परीक्षा में सफल रहने वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा।

15.15 15% अभ्यर्थियों का एक 'रिजर्व पैनल' भी बनाया जाएगा और दिल्ली पुलिस को सीलबंद लिफाफे में दिया जाएगा, जिसे अपलोड नहीं किया जाएगा। 'रिजर्व पैनल' का संचालन दिल्ली पुलिस द्वारा उनके स्थाई आदेश सं-एचआरडी/07/2022 के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।

15.16 परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे इस परीक्षा में प्रवेश के लिए निर्धारित पात्रता की सभी शर्तों को पूरी करते हैं। परीक्षा के सभी चरणों में उनका प्रवेश, पात्रता की निर्धारित शर्तें पूरी करने के अध्यक्षीन, पूर्णतया अनन्तिम होगा। यदि सत्यापन के समय, या कंप्यूटर आधारित परीक्षा, पीई एंड एमटी एवं चिकित्सा जाँच से पहले अथवा बाद में साथ ही नियुक्ति प्रस्ताव जारी होने/ सेवा में शामिल होने के बाद भी यदि किसी भी समय यह पाया जाता है कि वे पात्रता की किसी शर्त को पूरा नहीं करते हैं तो आयोग/दिल्ली पुलिस द्वारा पद के लिए उनकी अभ्यर्थिता/चयन रद्द कर दी जाएगी।

15.17 सरकार यथावश्यक जांच के पश्चात जब तक इस बात से संतुष्ट न हो जाए कि अभ्यर्थी सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने के आधार पर अभ्यर्थी को नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता है।

15.18 यदि परीक्षा के किसी भी पेपर / चरण में कट-ऑफ अंक से अधिक प्राप्त करने वाला अभ्यर्थी किसी भी कारण से बाद के चरण/अंतिम चयन के लिए अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो माह के भीतर या अगले चरण की परीक्षा के आयोजन के दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, आयोग के संबंधित क्षेत्रीय / उप-क्षेत्रीय कार्यालय को अभ्यावेदन देना चाहिए।

15.19 यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और वह आयोग या दिल्ली पुलिस से एक वर्ष की अवधि के भीतर कोई पत्राचार प्राप्त नहीं करता है, तो उसे उसके बाद दिल्ली पुलिस से तुरंत संपर्क करना चाहिए।

15.20 सभी चयनित अभ्यर्थियों के मामलों का, जिनके विरुद्ध कोई आपराधिक मामला दर्ज/ जांच लंबित/ न्यायालय में ट्रायल लंबित है, दिल्ली पुलिस द्वारा उनके स्थाई आदेश सं-398/2018 के प्रावधानों को देखते हुए कानून के तहत विचार किया जाएगा। विभागीय चयनित अभ्यर्थियों के मामलों को, जिनके विरुद्ध कोई विभागीय जांच/ प्राथमिक जांच/ आपराधिक मामला/ सतर्कता जांच आदि लंबित है, उनके मामलों के समाप्त होने तक लंबित रखा जाएगा और उनके मामलों का निर्णय मामलों को अंतिम रूप देने के बाद योग्यता के आधार पर किया जाएगा।

## 16. बराबरी (टाई) के मामलों का निपटारा

16.1 कंप्यूटर आधारित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में बराबरी होने की स्थिति में, ऐसे मामलों का निपटारा एक के बाद एक निम्नलिखित मानदंडों को लागू करके किया जाएगा, जब तक कि बराबरी का निपटारा नहीं हो जाता :

16.1.1 जन्म तिथि, अधिक आयु वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाती है।

16.1.2 अभ्यर्थियों के नामों का वर्णानुक्रम

## 17. कदाचार के दोषी पाए गए अभ्यर्थियों के विरुद्ध कार्रवाई:

17.1 यदि अभ्यर्थी परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर निम्नलिखित में से किसी के लिए भी दोषी पाए जाते हैं तो इस परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी और आयोग की परीक्षाओं से उन्हें निम्नलिखित अवधि के लिए वारित कर दिया जाएगा :

क्रम संख्या	कदाचार का प्रकार	वारित अवधि
1	परीक्षा भवन से परीक्षा संबंधी सामग्री, जैसे- ओएमआर शीट, रफ शीट, प्रवेश पत्र की आयोग की प्रति, उत्तर शीटें लेकर बाहर जाना या परीक्षा के आयोजन के दौरान इन्हें किसी अनधिकृत व्यक्ति को देना।	2 वर्ष
2	परीक्षा के दौरान बिना सूचित किए परीक्षा स्थल को छोड़ना	2 वर्ष
3	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि के साथ दुर्व्यवहार करना, उन्हें भयभीत करना या डराना-धमकाना।	3 वर्ष
4	परीक्षा के आयोजन में बाधा पहुंचाना/ अन्य अभ्यर्थियों को परीक्षा न देने के लिए उकसाना	3 वर्ष
5	गलत अथवा झूठे वक्तव्य देना, महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाना, जाली दस्तावेज प्रस्तुत करना।	3 वर्ष
6	अपनी अभ्यर्थिता के संबंध में किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लेना।	3 वर्ष
7	'स्विच ऑन' या 'स्विच ऑफ' मोड में मोबाइल फोन रखना।	3 वर्ष
8	नियमों का उल्लंघन करके एक ही परीक्षा में एक से अधिक बार बैठना।	3 वर्ष
9	कोई अभ्यर्थी जो उसी परीक्षा में परीक्षा संबंधी मामलों को देख रहा हो।	3 वर्ष
10	परीक्षा से संबंधित अवसंरचना/उपकरणों को नुकसान पहुंचाना।	5 वर्ष
11	जाली प्रवेश-पत्र, पहचान-पत्र से परीक्षा देना।	5 वर्ष
12	परीक्षा के दौरान आग्नेय शस्त्रों/हथियारों को रखना।	5 वर्ष
13	परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों अर्थात् पर्यवेक्षक, निरीक्षक, सुरक्षा गार्ड अथवा आयोग के किसी प्रतिनिधि आदि पर हमला करना, उन पर बल प्रयोग करना, किसी भी तरीके से उन्हें शारीरिक हानि पहुंचाना।	7 वर्ष
14	आग्नेय शस्त्रों/हथियारों से परीक्षा कार्य में लगे व्यक्तियों को डराना-धमकाना।	7 वर्ष
15	परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग करना, जैसे- कागज या शारीरिक अंगों आदि पर लिखित सामग्री जैसे अनधिकृत स्रोतों से नकल करना।	7 वर्ष
16	परीक्षा कक्ष में ब्लूटूथ उपकरण, स्पाई कैमरा और अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अपने पास रखना	7 वर्ष
17	छद्मवेधन/किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्यसाधन कराना।	7 वर्ष
18	स्नेपशाट लेना, प्रश्नपत्रों या परीक्षा सामग्री, लैब आदि का वीडियो बनाना।	7 वर्ष
19	रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर/एप/लैप/वैन इत्यादि के माध्यम से परीक्षा टर्मिनलों को साझा करना।	7 वर्ष
20	परीक्षा से पहले, उसके दौरान या उसके बाद किसी भी समय परीक्षा सर्वरों, डाटा या परीक्षा प्रणाली को हैक करने या जोड़-तोड़ करने की कोशिश करना।	7 वर्ष

17.2 आयोग यदि उचित समझे तो मामले को पुलिस/जांच एजेंसियों को भी रिपोर्ट कर सकता है। इसके अतिरिक्त, आयोग संबंधित अधिकारियों/फॉरेंसिक विशेषज्ञों आदि से मामले की जांच कराने के लिए भी उचित कार्रवाई कर सकता है।

## 18. आयोग का निर्णय अंतिम :

18.1 पात्रता, आवेदनों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने, मिथ्या जानकारी के लिए शास्ति, चयन के तरीके, परीक्षा (ओं) के आयोजन, परीक्षा केन्द्रों के आबंटन तथा योग्यता सूची तैयार करने और बल आबंटन संबंधी सभी मामलों में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा अभ्यर्थियों पर बाध्यकारी होगा एवं इस संबंध में कोई पूछताछ/पत्राचार स्वीकार्य नहीं होगा।

## 19. न्यायालय का क्षेत्राधिकार :

19.1 इस भर्ती से संबंधित कोई विवाद उस न्यायालय/न्यायाधिकरण के अधीन होगा जिस स्थान के न्याय क्षेत्र में कर्मचारी चयन आयोग का वह संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय स्थित है, जहां अभ्यर्थी कंप्यूटर आधारित परीक्षा के लिए उपस्थित हुआ है।

## 20. अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश

1.	अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए अनुदेशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लें। परीक्षा विज्ञप्ति हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित की गई है। कोई भी विवाद होने पर, अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।
2.	अभ्यर्थियों को उनके हित के लिए सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन अंतिम तारीख से काफी पहले जमा कर दें और अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर अत्यंत व्यस्तता के कारण कर्मचारी चयन आयोग की वेबसाइट की विसंबंधन/लॉगइन करने में असमर्थता या विफलता की संभावना से बचने के लिए अंतिम तारीख तक प्रतीक्षा न करें।
3.	अभ्यर्थियों से दस्तावेजों का संग्रह और उनका सत्यापन दिल्ली पुलिस द्वारा पीई एंड एमटी और ट्रेड परीक्षा के समय किया जाएगा। अतः अभ्यर्थिता को केवल अनंतिम रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को आवेदन करने से पहले सलाह दी जाती है कि वे शैक्षिक योग्यता, आयु, शारीरिक मानकों इत्यादि की आवश्यकताओं को पूरा करें और स्वयं संतुष्ट हो कि वे पदों के लिए पात्र हैं। जब पीई एंड एमटी और ट्रेड परीक्षा के दौरान दस्तावेजों की संवीक्षा की जाएगी, तब आवेदन में किए गए किसी भी दावे को प्रमाणित नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थिता सीधे निरस्त कर दी जाएगी।
4.	इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग/ भूपूसे के रूप में आरक्षण का लाभ उठाने या इस विज्ञप्ति के प्रावधानों के अनुसार कोई अन्य छूट के इच्छुक अभ्यर्थी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे इस तरह के आरक्षण /छूट के हकदार हैं। पीई एंड एमटी और ट्रेड परीक्षा के दौरान प्रमाणपत्र की प्रतियां मांगे जाने पर उनके पास भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में संबंधित प्रमाणपत्र होना चाहिए।
5.	जब आवेदन सफलतापूर्वक जमा हो जाएगा तो इसे 'अनंतिम' रूप से स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपने रिकार्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेना चाहिए। आयोग/ दिल्ली पुलिस को किसी भी स्तर पर 'आवेदन पत्र' का प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है।
6.	इस परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों द्वारा केवल एक ही आवेदन, ऑनलाइन जमा कराया जाए। इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय सावधानी बरतें। अभ्यर्थी के एक से अधिक

	आवेदन पत्र प्राप्त होने के मामले में आयोग द्वारा सभी आवेदनों को निरस्त कर दिया जाएगा तथा परीक्षा के लिए उनकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। यदि एक अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन जमा करता है तथा परीक्षा में एक से अधिक बार बैठता (किसी भी स्तर पर) है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी तथा उसे आयोग की परीक्षाओं से नियमानुसार वारित कर दिया जाएगा।
7.	ऑनलाईन आवेदन फॉर्म में अभ्यर्थियों को जेपीईजी प्रारूप (20 केबी से 50 केबी) में स्कैन किए गए रंगीन पासपोर्ट आकार की फोटो अपलोड करनी होगी। फोटोग्राफ तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। फोटोग्राफ की छवि का आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) x 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटोग्राफ बिना टोपी और चश्मे का होना चाहिए और उसमें चेहरा सामने से दृश्यमान होना चाहिए। यदि अभ्यर्थी द्वारा सही फोटोग्राफ अपलोड नहीं जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता निरस्त कर दी जाएगी। स्वीकार्य/अस्वीकार्य फोटोग्राफ के नमूने <b>अनुबंध-V</b> पर दिए गए हैं। अपाठ्य /धुंधले फोटोग्राफ/हस्ताक्षर वाले आवेदनों को सरसरी तौर पर निरस्त कर दिया जाएगा।
8.	ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के बाद, आयोग अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन मापदंडों को सही / संशोधित करने के लिए 5 दिनों की अवधि प्रदान करेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को आवश्यकतानुसार एक-बारगी पंजीकरण/ ऑनलाइन आवेदन डाटा में अपेक्षित सुधार/ परिवर्तन करने के बाद आवेदन को पुनः जमा करने की अनुमति दी जाएगी। परीक्षा की सूचना के पैरा-09 में दिए गए विवरण के अनुसार निर्धारित सुधार राशि का ऑनलाइन भुगतान कर इस सुविधा का लाभ उठाया जा सकता है। नवीनतम संशोधित आवेदन को वैध माना जाएगा और ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा परीक्षा के लिए जमा किए गए पिछले आवेदनों को अनदेखा कर दिया जाएगा।
9.	सही / अंतिम ऑनलाइन आवेदन जमा करने से पहले, जैसा भी मामला हो, अभ्यर्थियों को यह जांचना चाहिए कि उन्होंने फॉर्म के प्रत्येक भाग में सही विवरण भरा है। संशोधित/अंतिम ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने या 'आवेदन प्रपत्र सुधार के लिए विंडो' की अवधि की समाप्ति के बाद, किसी भी परिस्थिति में कोई परिवर्तन/सुधार/संशोधन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इस संबंध में डाक, फैक्स, ईमेल, हाथ से आदि किसी भी रूप में प्राप्त अनुरोधों पर आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा और उन्हें सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
10.	अभ्यर्थियों को परीक्षा केन्द्र में हाल ही के दो पासपोर्ट आकार की रंगीन फोटो और फोटो लगा एक वैध पहचान साक्ष्य, जैसे- आधार कार्ड/ई-आधार का प्रिंट आउट, ड्राइविंग लाइसेंस, मतदाता कार्ड, पेन कार्ड, विश्वविद्यालय/कॉलेज/सरकारी कार्यालय या कोई अन्य कार्यालय जहां अभ्यर्थी कार्य कर रहा हो, द्वारा जारी पहचान पत्र, रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई भूपूसे की सेवा निवृत्ति पंजिका या केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी किया गया फोटोयुक्त पहचानपत्र मूलरूप में अपने साथ लाना चाहिए, जिसके बिना उन्हें परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि फोटो पहचान पत्र में जन्म तिथि नहीं है तो अभ्यर्थी को जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में एक अतिरिक्त प्रमाणपत्र लाना होगा। प्रवेश प्रमाण पत्र में उल्लिखित जन्म तिथि और जन्म तिथि के समर्थन में लाए गए फोटो आईडी / प्रमाण पत्र में बेमेल होने की स्थिति में, अभ्यर्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
11.	किसी प्रतिष्ठित नाम/फोटो के दुरुपयोग से नकली/जाली आवेदन/पंजीकरण करने के मामले में अभ्यर्थी /साइबर कैफे को उत्तरदायी समझा जाएगा तथा उनके खिलाफ साइबर/आईटी अधिनियम के अंतर्गत उपयुक्त विधिक कार्रवाई की जाएगी।
12.	यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी पेपर/स्तर में कट-ऑफ अंकों से अधिक अंक प्राप्त करता है और किसी कारण से तदनंतर स्तर/अंतिम चयन में अर्हता प्राप्त नहीं करता है, तो उसे परिणाम घोषित होने के दो महीने के भीतर या अगले स्तर की परीक्षा प्रारंभ होने से दो सप्ताह पहले, जो भी पहले हो, संबंधित क्षेत्रीय/उप क्षेत्रीय कार्यालय में अभ्यावेदन करना चाहिए।
13.	यदि किसी अभ्यर्थी का अंतिम रूप से चयन हो जाता है और परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर उसे आयोग अथवा संबंधित प्रयोक्ता विभाग से कोई पत्र प्राप्त नहीं होता है, तो उसे तत्काल दिल्ली पुलिस से संपर्क करना चाहिए।

14	देय शुल्क: 100/- रु. (एक सौ रुपए मात्र)। महिला अभ्यर्थियों और अनुसूचित जाति (अजा), अनुसूचित जनजाति (अजजा) तथा भूतपूर्व सैनिक (भू.सै.) से संबंधित अभ्यर्थियों को आवेदन शुल्क का भुगतान करने से छूट प्राप्त है।
15	अभ्यर्थियों को ध्यान रखना चाहिए कि वे युद्ध बल के लिए आवेदन कर रहे हैं और भर्ती प्रक्रिया में उन्हें पूर्ण शारीरिक और मानसिक तैयारी के साथ भाग लेना चाहिए और वे, भर्ती के किसी भी चरण के दौरान होनी वाली किसी भी घटना/दुर्घटना के लिए पूरी तरह उत्तरदायी होंगे। कर्मचारी चयन आयोग/ दिल्ली पुलिस ऐसी किसी अनपेक्षित घटना/दुर्घटना के लिए उत्तरदायी नहीं होगी। अभ्यर्थी इस भर्ती में अपने जोखिम पर ही भाग लेंगे।
16	यदि कोई भी अभ्यर्थी जानबूझ कर सिर की चोट (सूजन/ फूलना) का बहाना करता है तथा ऊंचाई में विशेषाधिकार पाने के लिए सिर पर ईमली रखता है तो भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए इस तरह के अभ्यर्थियों को वारित कर दिया जाएगा।
17	पीई एंड एमटी के दौरान किसी भी अभ्यर्थी को यदि ऊर्जावान दवा के प्रभाव में पाया जाता है तो उसे भर्ती की आगे की प्रक्रिया के लिए वारित कर दिया जाएगा।
18	शारीरिक मानक परीक्षा के लिए प्रत्येक केंद्र में अपीलारी प्राधिकारी उपलब्ध होगा। यदि कोई अभ्यर्थी शारीरिक मानक परीक्षा बोर्ड के निर्णय से संतुष्ट या सहमत नहीं होता है तो वह उसी दिन संबंधित भर्ती केंद्र में केवल पीठासीन अधिकारी के माध्यम से अपीलारी प्राधिकारी से अपील कर सकता है। अपीलारी प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और इसके बाद इस संबंध में आगे किसी अपील या अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए कोई अपील स्वीकार्य नहीं होगी।
19	<b>पूछताछ प्रकोष्ठ</b> अभ्यर्थी किसी भी प्रश्न के लिए भर्ती प्रकोष्ठ, नई पुलिस लाइन, किंग्सवे कैंप, दिल्ली -110009 दिल्ली स्थित पुलिस भर्ती सेल हेल्प डेस्क से टेलीफोन नंबर 011-27412715, 011-27241205, 011-27241206 पर रविवार और राष्ट्रीय अवकाशों को छोड़कर हर दिन सुबह 09.30 बजे से शाम 06.00 बजे तक संपर्क कर सकते हैं।

अवर सचिव, भारत सरकार  
08.07.2022

(ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरने की प्रक्रिया)

परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया के दो भाग हैं:

- I. एक बारगी पंजीकरण
- II. परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन-पत्र भरना

**भाग -I (एक बारगी पंजीकरण)**

1. कृपया ऑनलाइन 'पंजीकरण-प्रपत्र' और 'आवेदन-पत्र' भरने से पहले परीक्षा की विज्ञप्ति में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।
2. एकबारगी पंजीकरण भरने से पहले निम्नलिखित सूचनाएं/दस्तावेज तैयार रखें:
  - क) मोबाइल नंबर (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)
  - ख) ई-मेल आईडी (ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाना है)।
  - ग) आधार संख्या। यदि आधार संख्या उपलब्ध नहीं है, तो कृपया निम्नलिखित आईडी नंबरों में से एक दें। (आपको बाद के चरणों में मूल दस्तावेज को दिखाना होगा )
    - i. वोटर आईडी कार्ड
    - ii. पैन
    - iii. पासपोर्ट
    - iv. ड्राइविंग लाइसेंस
    - v. स्कूल/कॉलेज आई डी
    - vi. नियोक्ता आईडी (सरकारी/पीएसयू/प्राइवेट)
  - घ) मैट्रिक (10वीं) की परीक्षा पास करने का बोर्ड, अनुक्रमांक और वर्ष के बारे में जानकारी।
  - ङ) यदि आप किसी दिव्यांगता से पीड़ित हैं, तो दिव्यांगता प्रमाण-पत्र संख्या।
3. एक बारगी पंजीकरण के लिए, <http://ssc.nic.in> पर 'Login' सेक्शन में दिए गए लिंक 'Register Now' पर क्लिक करें।
4. एक बारगी पंजीकरण प्रक्रिया में निम्नलिखित सूचनाएं भरनी होंगी:
  - क) मूलभूत विवरण
  - ख) अतिरिक्त जानकारियां तथा संपर्क विवरण
  - ग) घोषणापत्र
5. 'एक बारगी पंजीकरण प्रपत्र' भरने के लिए कृपया निम्नलिखित चरणों का अनुसरण करें:
  - क) सत्यापन के उद्देश्य से और किसी गलती से बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण विवरणों (अर्थात् आधार संख्या, नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्मतिथि इत्यादि) की प्रविष्टि पंजीकरण प्रपत्र के संगत कॉलमों में दो बार की जानी अपेक्षित है। यदि मूल डाटा और सत्यापन डाटा कॉलम मेल नहीं खाते हैं तो इसे स्वीकृत नहीं किया जाएगा और इसका संकेत लाल रंग के पाठ में दिया जाएगा।

- ख) क्रम संख्या-1: आधार संख्या/ पहचान पत्र और इसकी संख्या के बारे में जानकारी प्रदान करें। इन नंबरों में से कोई एक नंबर दिया जाना अपेक्षित है।
- ग) क्रम संख्या-2: अपना नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसा मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है। यदि मैट्रिकुलेशन के पश्चात आपने अपने नाम में कोई बदलाव किया है, तो कृपया इसका उल्लेख क्रम संख्या 2ग और 2घ में करें।
- घ) क्रम संख्या-3: अपने पिता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- ङ) क्रम संख्या-4: अपनी माता का नाम **ठीक वैसा ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दिया गया है।
- च) क्रम संख्या-5: अपनी जन्मतिथि **ठीक वैसी ही** भरें जैसाकि मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के प्रमाण-पत्र में दी गई है।
- छ) क्रम संख्या-6: मैट्रिक परीक्षा (10वीं कक्षा) के विवरण में निम्नलिखित शामिल है:
- i. शिक्षा बोर्ड का नाम
  - ii. अनुक्रमांक
  - iii. उत्तीर्ण होने का वर्ष
- ज) क्रम संख्या-7: लिंग (पुरुष/महिला)
- झ) क्रम संख्या-8: शैक्षणिक योग्यता का स्तर (सर्वोच्च)
- ञ) क्रम संख्या-9: आपका मोबाइल नंबर। यह एक सक्रिय मोबाइल नंबर होना चाहिए क्योंकि इसे 'वन टाइम पासवर्ड' (ओटीपी) के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। इस बात पर ध्यान दिया जाए कि कोई भी जानकारी जो कर्मचारी चयन आयोग/ दिल्ली पुलिस संप्रेषित करना चाहता है, केवल इस मोबाइल नंबर पर ही भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड/पंजीकरण संख्या की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपका मोबाइल नंबर उपयोग किया जाएगा।
- ट) क्रम संख्या-10: आपका ईमेल आईडी। यह एक सक्रिय ईमेल आईडी होना चाहिए क्योंकि इसे ओटीपी के माध्यम से सत्यापित किया जाएगा। यह भी ध्यान दिया जाए कि कर्मचारी चयन आयोग/ दिल्ली पुलिस जो भी जानकारी आपको देना चाहेगा, केवल इसी ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यदि आवश्यक होगा तो पासवर्ड/ पंजीकरण की पुनर्प्राप्ति के लिए भी आपकी ईमेल आईडी का उपयोग किया जाएगा।
- ठ) अपने स्थायी पते का राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र का विवरण प्रदान करें।
- ड) जब क्रम संख्या 1 से 10 में प्रदान किए गए मूल विवरण को सहेजा जाता है, तो आपको अपने मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी की पुष्टि करने की आवश्यकता होगी। पुष्टि होने पर, आपके डाटा को सहेजा जाएगा तथा आपके पंजीकरण संख्या को आपके स्क्रीन पर प्रदर्शित किया जाएगा। आपका पंजीकरण आईडी और पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेज दिया जाएगा।
- ढ) आपको 14 दिनों के भीतर पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करनी होगी जिसमें विफल होने पर आपके अब तक के सहेजे गए पंजीकरण विवरण हटा दिए जाएंगे।
- ण) अपनी पंजीकृत संख्या को यूजर नाम और आपके मोबाइल और ईमेल पर आपको प्रदान किए गए ऑटो जेनरेटेड पासवर्ड का उपयोग करके लॉगइन करें। पहले लॉगिन पर संकेत मिलने पर अपना पासवर्ड बदलें।

- त) पासवर्ड के सफलतापूर्वक परिवर्तन के बाद, बदले गए पासवर्ड तथा पंजीकरण संख्या का उपयोग करके आपको फिर से लॉगिन करना होगा।
- थ) सफलतापूर्वक लॉगिन करने पर, आपके द्वारा अब तक भरे गए 'मूलभूत विवरण' के बारे में जानकारी प्रदर्शित की जाएगी। यदि अपेक्षित हो तो आप इसमें संशोधन कर सकते हैं अथवा अपना एक बारगी पंजीकरण पूरा करने के लिए नीचे दिए गए 'Next' बटन पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं।
- द) क्रम संख्या-11: अपनी श्रेणी के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- ध) क्रम संख्या-12: अपनी राष्ट्रियता के बारे में जानकारी प्रदान करें।
- न) क्रम संख्या-13: दृश्यमान पहचान चिह्न के बारे में जानकारी प्रदान करें। आपको परीक्षा के विभिन्न चरणों में उपरोक्त पहचान चिह्न दिखाना पड़ सकता है।
- प) क्रम संख्या-14: यदि कोई दिव्यांगता हो तो उसकी सूचना दें। दिव्यांगजन (पीडब्ल्यूडी) (चालन संबंधी), 40% या अधिक की चालन संबंधी दिव्यांगता (एक पैर या दोनों पैर प्रभावित) : हां/नहीं।
- फ) क्रम संख्या-15 से 18: अपने स्थायी और वर्तमान पते के बारे में जानकारी प्रदान करें। डेटा को सहेजें और पंजीकरण प्रक्रिया के अंतिम भाग को भरने के लिए आगे बढ़ें।
- ब) प्रदान की गई जानकारी को सहेजें। ड्राफ्ट प्रिंट-आउट लें तथा 'अंतिम सबमिट' से पहले, प्रदान की गई जानकारी की अच्छी तरह से समीक्षा करें।
- भ) 'घोषणा' को ध्यान से पढ़ें और यदि आप घोषणा से सहमत हैं तो 'I Agree' पर क्लिक करें।
- म) 'अंतिम सबमिट' पर क्लिक करने पर विभिन्न ओटीपी आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भेजे जाएंगे। पंजीकरण प्रक्रिया को पूरा करने के लिए आपको दोनों ओटीपी में से एक ओटीपी विनिर्दिष्ट क्षेत्र में दर्ज करना होगा।
- य) मूलभूत सूचनाओं को प्रस्तुत करने के बाद, यदि पंजीकरण प्रक्रिया 14 दिनों के भीतर पूरी नहीं की जाती है, तो आपका डाटा सिस्टम से हटा दिया जाएगा।
6. पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद, 'मूलभूत विवरण' को बदला जा सकता है। तथापि, अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि एकबारगी पंजीकरण करने के दौरान अत्यंत सावधानी बरतें।
7. आपको पुनः सावधान किया जाता है कि नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक परीक्षा का विवरण ठीक वैसा ही भरें जैसा कि आपके मैट्रिकुलेशन प्रमाण-पत्र में दर्ज है। गलत/त्रुटिपूर्ण सूचनाएं देने पर आपकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकती है।

एक बारगी पंजीकरण फॉर्म के स्क्रीनशॉट्स

BASIC DETAILS

**NOTE: Candidates must be cautious while filling up Registration details. Your candidature may get cancelled in case incorrect/ wrong information is furnished.**

1. Do you have Aadhaar ? \*  Yes  No

1a. Aadhaar Number   
Aadhaar Number should be same as mentioned in Aadhaar Card

1b. Verify Aadhaar Number

1c. Type of ID \*    
Type of ID and ID Number to be provided if you don't want to give Aadhaar number

1d. ID Number \*

2a. Name \*   
1. Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate  
2. Please enter name without any salutation (i e Shri/ Smt/ Mr/ Mrs/ Ms/ Dr/ Prof)

2b. Verify Name \*

2c. Have you ever changed Name?  Yes  No

2d. New Name / Changed Name

3a. Father's Name \*   
1. Father's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate  
2. Please enter name without any salutation (i e Mr/ Shri/ Late/ Dr/ Prof etc)

3b. Verify Father's Name \*

4a. Mother's Name \*   
1. Mother's Name should be same as mentioned in Matriculation Certificate  
2. Please enter name without any salutation (i e Mrs/ Ms/ Smt/ Late/ Dr/ Prof etc)

4b. Verify Mother's Name \*

5a. Date of Birth (DD/MM/YYYY) \*   
Date of Birth should be same as mentioned in Matriculation Certificate

5b. Verify Date of Birth (DD/MM/YYYY) \*

6. Matriculation (10<sup>th</sup> Class) Examination details :

(i). Education Board \*    
Education Board of Matriculation Examination

(ii). Verify Education Board \*

(iii). Roll Number \*   
1. Roll Number should be same as mentioned in Matriculation Certificate  
2. Only / and - are allowed , Please enter Roll number without any other special character(s)  
3. If Roll Code is given in your Matriculation Certificate then enter "Roll Code - Roll No."

## अनुबंध-I क (2/4)

(iv). Verify Roll Number *	<input type="text" value="301739"/>
(v). Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
(vi). Verify Year of Passing *	<input type="text" value="2013"/>
7a. Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
7b. Verify Gender *	<input checked="" type="radio"/> Male <input type="radio"/> Female <input type="radio"/> Transgender
8. Level of Educational Qualification *	<input type="text" value="Graduation"/>
9a. Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
9b. Verify Mobile Number *	<input type="text" value="8111111111"/>
10a. Email ID *	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
10b. Verify Email ID *	<input type="text" value="sample123@gmail.com"/>
• State / UT of Permanent Address *	<input type="text" value="Delhi"/>

ADDITIONAL AND CONTACT DETAILS

[Edit](#)

11a. Category \*  General  EWS  OBC  ST  SC

11b. Verify Category \*  General  EWS  OBC  ST  SC

12. Nationality \*

13. Identification Marks \*

14a. Are you a Person with Benchmark Disability? \*  Yes  No

14b. Type of Disability

**NOTE**

**VH:** Blindness and low vision.

**HH:** Deaf and hard of hearing.

**OH:** Locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy.

**Others:** Autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness, multiple disabilities from amongst persons under the above mentioned clauses including deaf-blindness.

14c. Disability Certificate Number

15a. Permanent Address \*

15b. State/ UT \*

15b. State/ UT \*

15c. District \*

15d. PIN Code \*

16. Is Present Address same as Permanent Address?  Yes  No

17a. Present Address \*

17b. State/ UT \*

17c. District \*

17d. PIN Code \*

18. Contact details for other nationals

[Previous](#) [Save](#) [Next](#) [Reset](#) [Close](#)

DECLARATION

**Declaration** : I hereby declare that the information given by me in this form is true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/appointment is liable to be cancelled/terminated.

I Agree.

Previous

Take Draft Print

Final Submit

Close

भाग-II (ऑनलाइन आवेदन-पत्र)

1. ऑनलाइन आवेदन भरने की प्रक्रिया शुरू करने से पूर्व निम्नलिखित डाटा तैयार रखें:
  - (क) हाल का (परीक्षा विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से तीन महीने से ज्यादा पुरानी नहीं) जेपीईजी प्रारूप में स्कैन किया गया पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटो (20 केबी से 50 केबी)। फोटो का छवि आयाम लगभग 3.5 सेमी (चौड़ाई) X 4.5 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। फोटो बिना टोपी पहने और बिना धूप वाले चश्मे/ चश्मे लगाए होनी चाहिए और चेहरे के सामने का दृश्य दिखना चाहिए। धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा उचित फोटो अपलोड नहीं की जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द कर दी जाएगी। स्वीकृत/ अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-v में दिए गए हैं।
  - (ख) जेपीईजी फॉर्मेट में स्कैन किए गए हस्ताक्षर (10 से 20 केबी)। हस्ताक्षर छवि का आयाम लगभग 4.0 सेमी (चौड़ाई) X 2.0 सेमी (ऊंचाई) होना चाहिए। अस्पष्ट/धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।
  - (ग) अर्हक शैक्षिक योग्यता का ब्योरा जैसे उत्तीर्ण करने का वर्ष, अनुक्रमांक सं., प्रतिशत/ सीजीपीए, विश्वविद्यालय का नाम इत्यादि।
2. अपने 'पंजीकरण संख्या' और पासवर्ड के माध्यम से ऑनलाइन सिस्टम में लॉगइन करें।
3. 'Latest Notification' टैब के अंतर्गत 'Constable (Driver)- Male in Delhi Police Examination-2022' सेक्शन में 'Apply' लिंक पर क्लिक करें।
4. क्रम सं.-1 से 14 पर कॉलम में जानकारी स्वचालित रूप से आपके एकबारगी पंजीकरण डाटा से भर जाएगी जिसमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता। तथापि, यदि आप एकबारगी पंजीकरण के किसी भी ब्योरे में परिवर्तन करना चाहते हैं तो अपने डैशबोर्ड के बाएं हाथ के कोने में प्रदान की गई 'Modify Registration' टैब पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपर्युक्त संशोधन कर लें।
5. क्रम संख्या-15: यदि आप दिल्ली पुलिस के 'विभागीय अभ्यर्थी' है तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति के पैरा सं. 4.6 का संदर्भ लें)।
6. क्रम संख्या-16: यदि आप दिल्ली पुलिस के सेवारत, दिवंगत, सेवानिवृत्त दिल्ली पुलिस कार्मिक/ मल्टी-टासकिंग कर्मचारी के पुत्र हैं तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति के पैरा सं. 4.4 का संदर्भ लें)।
7. क्रम संख्या-17: यदि आपने ऑनलाइन आवेदन की आखिरी तिथि से पिछले तीन वर्ष के दौरान खेल में अपने राज्य का राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व किया है तो 'Yes' का चयन करें (विज्ञप्ति के पैरा सं. 4.2 का संदर्भ लें)।
8. क्रम संख्या-17.1: यदि हां, तो अपने खेल का नाम/ प्रकार चुनें (विज्ञप्ति के अनुबंध-IX का संदर्भ लें)।
9. क्रम संख्या-18: परीक्षा केंद्रों के लिए अपनी वरीयता दें। आप एक ही क्षेत्र के भीतर परीक्षा केंद्र चुन सकते हैं। वरीयता के क्रम में सभी तीन केंद्रों के लिए विकल्प दिया जाना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए कृपया परीक्षा की विज्ञप्ति के पैरा 10 का संदर्भ लें।

10. क्रम संख्या-19.1 से 19.6: यदि आप एक सेवारत या पूर्व सैनिक हैं, तो बिंदु संख्या 19.1 से 19.6 तक आवश्यक जानकारी भरें। सैनिकों/भूतपूर्व सैनिकों के पारिवारिक सदस्यों को भूतपूर्व सैनिक नहीं माना जाता है (विज्ञप्ति के पैरा संख्या 4.8 का संदर्भ लें)।
11. क्रम संख्या-20.1 से 20.2: यदि आप आयु-सीमा में छूट की मांग कर रहे हैं, तो क्रम संख्या 23.2 पर आयु-छूट की उपयुक्त श्रेणी का चयन करें (विज्ञप्ति के पैरा संख्या '4.2' का संदर्भ लें)।
12. क्रम संख्या-21.1 से 21.2: क्या आपके पास एनसीसी प्रमाण-पत्र है? यदि 'हां' तो एनसीसी प्रमाण-पत्र का ब्योरा दें (विज्ञप्ति के पैरा संख्या 6.5 का संदर्भ लें)।
13. क्रम संख्या-22.1 से 22.2: क्या आपके पास राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय (आरआरयू) द्वारा प्रदान की गई डिग्री या स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्रमाण-पत्र है? यदि 'हां' तो डिग्री/प्रमाण-पत्र का ब्योरा दें (विज्ञप्ति के पैरा संख्या 6.6 का संदर्भ लें)।
14. क्रम संख्या-23: अपनी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता दर्शाएं।
15. क्रम संख्या-24: विज्ञान और गणित विषयों के साथ किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10+2 (उच्च माध्यमिक) उत्तीर्ण, अथवा मैकेनिक-सह-ऑपरेटर इलेक्ट्रॉनिक संचार प्रणाली के ट्रेड में प्राप्त राष्ट्रीय ट्रेड प्रमाण-पत्र (एनटीसी) का विवरण प्रदान करें। निम्नलिखित विवरण भरा जाए:

स्तर

उत्तीर्ण करने का वर्ष

राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का बोर्ड/विश्वविद्यालय

बोर्ड/विश्वविद्यालय का नाम

अनुक्रमांक

प्रतिशतता

सीजीपीए

16. क्रम संख्या-25: क्या आपके पास भारी मोटर वाहन चलाने का लाइसेंस है? यदि 'हां' तो क्रम सं. -25.1 से 25.3 में लाइसेंस की जानकारी प्रदान करें।
17. क्रम संख्या-26 तथा 27: वर्तमान तथा स्थायी पता से संबंधित सूचना एक बारगी पंजीकरण डाटा से स्वतः भर जाएगी।
18. कृपया अपनी नवीनतम रंगीन फोटोग्राफ (अर्थात परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी न हो) अपलोड करें, जैसा कि ऊपर क्र.सं. 1क पर विनिर्दिष्ट किया गया है। धुंधली फोटो वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा। स्वीकृत/अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने अनुबंध-V में दिए गए हैं। अभ्यर्थी उसका संदर्भ ले सकते हैं।
19. उपर्युक्त क्र.सं.1ख के निर्देशानुसार अपना हस्ताक्षर अपलोड करें। धुंधले हस्ताक्षर वाले आवेदन पत्रों को निरस्त कर दिया जाएगा।
20. क्रम संख्या-28: अपलोड की गई फोटो परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। यदि अपलोड की गयी फोटो परीक्षा विज्ञप्ति प्रकाशित होने की तिथि से तीन महीने अधिक पुरानी नहीं है तो 'Yes' पर क्लिक करें।
21. घोषणा को ध्यानपूर्वक पढ़ें और यदि स्वीकार है तो "I agree" चेक बॉक्स पर क्लिक करें। कैप्चा कोड भरें।

22. आपके द्वारा प्रदान की गई जानकारी का पूर्वावलोकन और सत्यापन करें। यदि आप किसी भी प्रविष्टि में संशोधन करना चाहते हैं तो 'Edit/ Modify' बटन पर क्लिक करें और आगे बढ़ने से पहले उपयुक्त संशोधन कर लें। जब आप संतुष्ट हो जाएं कि जानकारी सही भरी गई है तो, जानकारी का पूर्वावलोकन तथा सत्यापन करें और आवेदन जमा कर दें।
23. यदि आपको शुल्क के भुगतान से छूट नहीं दी गयी है तो शुल्क भुगतान करने के लिए आगे बढ़ें।
24. शुल्क का भुगतान भीम यूपीआई, नेट बैंकिंग अथवा वीसा, मास्टरकार्ड, मैस्ट्रो, रूपे क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड का उपयोग करके अथवा एसबीआई चालान तैयार करके एसबीआई की शाखा में नकद जमा किया जा सकता है। शुल्क भुगतान हेतु और अधिक जानकारी के लिए परीक्षा-विज्ञप्ति के पैरा-7 का संदर्भ लें।
25. जब आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट हो जाएगा, तो इसे 'अंतिम रूप से' स्वीकार किया जाएगा। अभ्यर्थी को अपने स्वयं के रिकॉर्ड के लिए आवेदन पत्र का प्रिंट-आउट लेना चाहिए। किसी भी स्तर पर आयोग को 'आवेदन पत्र' का प्रिंट-आउट जमा करने की आवश्यकता नहीं है। तथापि, आपको ऑनलाइन आवेदन से संबन्धित शिकायतों, यदि कोई हो, को संबोधित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन-प्रपत्र का प्रिंट-आउट देना होगा।

**अनुबंध-II क (1/3)**

## ऑनलाइन आवेदनपत्र के स्क्रीनशॉट्स

Constable (Driver) - Male in Delhi Police Examination, 2022

### Instructions

**PLEASE BE VERY CAREFUL WHILE FILLING THE APPLICATION FORM**

1. Candidate's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE NAME
2. New / Changed Name:	
3. Father's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE FATHER NAME
4. Mother's Name: (As per the Matriculation Certificate)	SAMPLE MOTHER NAME
5. Date of Birth (DD/MM/YYYY): (As per the Matriculation Certificate)	02/01/1999
6. Age as on 01/07/2022:	23.5
7. Gender:	Male
8. Category:	UR
9. Whether Person with Disability (PwD)? :	No
9.1. If Yes, Type of Disability:	
10. Nationality:	Citizen of India
11. Mark of Visible Identification:	MOLE ON RIGHT CHEEK
12. Matriculation (10 <sup>th</sup> Class) Examination Board:	Central Board of Secondary Education (CBSE)
13. Matriculation (10 <sup>th</sup> Class) Roll No.:	301739
14. Matriculation (10 <sup>th</sup> Class) Year of Passing:	2013
15. Whether Departmental Candidate of Delhi Police:*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
<a href="#">Please refer to the Notice of Examination, Para-4.6</a>	
16. Whether Son of serving, retired or deceased personnel/ Multi-Tasking Staff of Delhi Police:*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
<a href="#">Please refer to the Notice of Examination, Para-4.4</a>	
17. Have you represented a State at the National level or the Country at the international level in sports during preceding 3 years from the closing date of receipt of online applications:*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No
<a href="#">Please refer to the Notice of Examination, Para-4.2</a>	
17.1. If Yes, Please select the Discipline of your Sport: <a href="#">Please refer Annexure-IX of the Notice</a>	--Select Sport--
18. Preference of Examination Centres:*	NR-Delhi(2201) <input type="button" value="v"/> NR-Ajmer(2401) <input type="button" value="v"/> NR-Jaipur(2405) <input type="button" value="v"/>
19.1. Whether you are an Ex-Servicemen (ESM) or serving in the Armed Forces? :*	<input type="radio"/> Yes <input checked="" type="radio"/> No

19.2. Date of Joining the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

19.3. Date of Discharge/ Likely Date of Discharge from the Armed Forces (DD/MM/YYYY):

19.4. Length of service in the Armed Forces:

19.5. Have you already joined a civil post by availing benefit of reservation for Ex-Serviceman (ESM):  Yes  No

[Please refer to the Notice of Examination, Para-4.8](#)

19.6. Date of Joining to Civil Post (DD/MM/YYYY):

20.1. Whether seeking Age Relaxation? : \*  Yes  No

20.2. If Yes, Age Relaxation code:    
[Please see Para-4.2 of the Notice](#)

21.1. Are you a National Cadet Corps (NCC) Certificate holder? : \*  Yes  No

**Verify whether you are a NCC Certificate holder? : \***  Yes  No

21.2. Type of the NCC Certificate: \*    
**Confirm Type of the NCC Certificate:**

[Please refer to the Notice of Examination, Para-6.5](#)

22.1. Do you possess Degree/ Post Graduate Diploma awarded by Rashtriya Raksha University (RRU)? : \*  Yes  No

22.2. If Yes, class obtained in Degree/ Post Graduate Diploma: \*

[Please refer to the Notice of Examination, Para-6.6](#)

23. Highest Educational Qualification: \*

24. Details of Qualifying Educational Qualification: \*

Status	Passing Year	State/ UT of Board/ University	Name of Board/ University	Roll No	Percentage	CGPA
<input type="text" value="Passed"/>	<input type="text" value="2015"/>	<input type="text" value="Delhi"/>	<input type="text" value="Central Board of Second"/>	<input type="text" value="2345678901"/>	<input type="text" value="76"/>	<input type="text"/>

25. Do you possess valid Heavy Motor Driving License ? : \*  Yes  No

25.1. Driving License No:

25.2. Name of Issuing Authority:

25.3. Date of Issue:

26. Correspondence Address:

State:

## अनुबंध-II क (3/3)

District: Patiala  
Pin Code: 140401  
27. Permanent Address: Sample Permanent Address  
State: Punjab  
Pin Code: 140401  
Mobile Number: 8111111111  
Email: sample123@gmail.com

### Photograph And Signature

Upload a photograph taken on or after

08-April-2022\*

Please refer to the Notice of

Examination, Annexure-V

Allowed File Size: 20 KB to 50 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 3.5 cm (width) x 4.5  
cm (height)

SamplePhot...hwithdate.jpg



Upload Signature \*

Allowed File Size: 10 KB to 20 KB

Format: JPEG/ JPG

Image Size: About 4.0 cm (width) x 2.0  
cm (height)

SampleSignature.jpg



28. Whether the photograph has been taken on or after  Yes  No  
08-April-2022?:

### Declaration

1. I have read the Notice of Examination and accept all the Terms & Conditions mentioned therein.
2. I hereby declare that all the statements made in this application are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found suppressed/ false or incorrect at any stage or ineligibility being detected before or after the Examination, my candidature/ appointment is liable to be cancelled.
3. I declare that the photograph uploaded in the Application Form has been taken on or after the stipulated dated.

I Agree

**ZUHNU**

Try Another

ZUHNU

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाणपत्र का प्रपत्र

मैं एतद्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि मेरे पास उपलब्ध सूचना के अनुसार (नंबर)

\_\_\_\_\_ (रैंक) \_\_\_\_\_  
(नाम) \_\_\_\_\_ (दिनांक) \_\_\_\_\_ को सशस्त्र सेना में अपनी  
नियुक्ति की विनिर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेंगे।

स्थान:

( कमान अधिकारी के हस्ताक्षर)

दिनांक:

कार्यालय की मुहर:

**भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला वचन-पत्र**

मैं ..... , अनुक्रमांक  
..... परीक्षा,

20.... के दस्तावेज सत्यापन में उपस्थित हुआ हूँ एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि:

(क) मैं समय समय पर यथा संशोधित केंद्रीय सिविल सेवा और डाक नियम, 1979, में भूतपूर्व सैनिकों के पुनः रोजगार के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को अनुमत लाभों का हकदार हूँ।

(ख) मैंने सिविल क्षेत्र (जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्वायत्त निकाय / सांविधिक निकाय, राष्ट्रीयकृत बैंक, आदि सम्मिलित हैं) में भूतपूर्व-सैनिकों को पुनः रोजगार के लिए दिए गए आरक्षण का लाभ उठाते हुए समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सरकारी नौकरी में नियमित आधार पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; अथवा

(ग) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक .....को ..... कार्यालय में .....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचनबद्ध हूँ कि वर्तमान सिविल रोजगार में शामिल होने से पहले वर्तमान नियोक्ता को उन सभी आवेदनों के बारे में स्व-घोषणा / वचन पत्र प्रस्तुत किया है जिनके लिए मैंने आवेदन किया है; अथवा

(घ) मैंने सिविल क्षेत्र में सरकारी नौकरी पाने के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने दिनांक .....को ..... कार्यालय में .....पद पर कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं भूतपूर्व सैनिकों के लिए उपलब्ध आरक्षण का पात्र नहीं हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि उपरोक्त विवरण जहाँ तक मुझे पता है तथा विश्वास है यथार्थ, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर किसी भी जानकारी के झूठा या गलत पाए जाने पर मेरी अभ्यर्थिता / नियुक्ति निरस्त/ समाप्त समझा जाएगा।

हस्ताक्षर: .....

नाम: .....

अनुक्रमांक: .....

दिनांक: .....

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि: .....

कार्यमुक्ति की तिथि: .....

अंतिम इकाई / कोर: .....

मोबाइल नंबर: .....

ईमेल आईडी: .....

फोटोग्राफ के नमूने  
स्वीकृत फोटोग्राफ



अस्वीकृत फोटोग्राफ के नमूने  
बहुत नजदीक



टोपी के साथ



अत्यधिक रंगीन



धुंधले फोटोग्राफ



उल्टी फोटो



अत्यधिक गहरा रंग



धूप वाले चश्मे के साथ




तिरछी दृश्यमान फोटो



बहुत छोटी



चश्मे के साथ



**अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र का प्रारूप**

जो अभ्यर्थी किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित होने का दावा करते हैं, उन्हें अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए प्रपत्र पर जिलाधिकारी या परगनाधिकारी या उस जिले जिसमें उनके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) सामान्यतः रहते हों, के नीचे दिए गए किसी भी अधिकारी, जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकृत किया गया हो, से प्राप्त प्रमाणपत्र की एक अनुप्रमाणित/सत्यापित प्रति जमा करनी चाहिए। यदि उसके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें अभ्यर्थी अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अतिरिक्त सामान्यतः रहता हो।

**(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)**

प्रमाणित किया जाता है कि  
 श्री/श्रीमती/कुमारी\* \_\_\_\_\_ पुत्र/पुत्री \_\_\_\_\_ निवासी  
 ग्राम/कस्बा\* \_\_\_\_\_ जिला/संभाग\* \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\*  
 \_\_\_\_\_ के \_\_\_\_\_ अनुसूचित जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो  
 निम्नलिखित आदेश के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति\* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950\* संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950\*  
 संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951\* संविधान (अनुसूचित जनजाति) संघ  
 राज्य क्षेत्र आदेश, 1951\*

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सूची (परिशोधन) आदेश, 1956 बम्बई  
 पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य  
 अधिनियम, 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 तथा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित  
 जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित।

संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956@

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम) 1976\* द्वारा यथा संशोधित  
 संविधान

(अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959@

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश, 1962@

संविधान (दादरा एवं नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1962@

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964@

संविधान (अनुसूचित जनजाति ) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967@

संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@

संविधान (गोवा, दमन एवं दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1968@

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978@

संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1978@  
 संविधान (जम्मू एवं कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1989@  
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@  
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1991@  
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@  
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अध्यादेश, 1996.  
 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002  
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002  
 संविधान (अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2002  
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 2007

यह उन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के मामले में लागू है जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से प्रवास कर गए हैं।

2. यह प्रमाण पत्र श्री/श्रीमती/कुमारी\* \_\_\_\_\_ के पिता/माता श्री/श्रीमती \_\_\_\_\_ निवासी \_\_\_\_\_ ग्राम/कस्बा\* \_\_\_\_\_ जिला/संभाग\* \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* \_\_\_\_\_ को जारी किए गए अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति प्रमाणपत्र के आधार पर जारी किया जाता है जो \_\_\_\_\_ जाति/जनजाति से संबंधित हैं जो \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_ द्वारा जारी राज्य / संघ राज्य क्षेत्र\* में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है।

3. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ और/या\* उनका परिवार सामान्यतः ग्राम/कस्बा\* \_\_\_\_\_ जिला/संभाग\* \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र\* \_\_\_\_\_ में रहता है।

हस्ताक्षर \_\_\_\_\_

\*\*पदनाम \_\_\_\_\_

(कार्यालय की मुहर सहित)

\*जो शब्द लागू न हों उन्हें काट दें।

@राष्ट्रपति के विशिष्ट आदेश का उल्लेख करें।

% जो अनुच्छेद लागू न हो उसे काट दें।

टिप्पणी:-

यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः रहते हैं का वही अर्थ होगा जैसा कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

\*\*

जाति/जनजाति प्रमाणपत्र जारी करने के लिए अधिकृत प्राधिकारियों की सूची :-

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अपर जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/डिप्टी कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के स्टार्डिपेंडरी मजिस्ट्रेट/सब-डिविजनल मजिस्ट्रेट/अपर सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/एकजीक्यूटिव मजिस्ट्रेट।

(ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /अपर मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट /प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट

(iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार रैंक के नीचे का न हो।

(iv) क्षेत्र का सब डिविजनल अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

**टिप्पणी:-** तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को केवल राजस्व मंडलीय अधिकारी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।

(अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ सुपुत्र/सुपुत्री \_\_\_\_\_

ग्राम/कस्बा \_\_\_\_\_ जिला/संभाग \_\_\_\_\_ राज्य/संघ राज्य क्षेत्र \_\_\_\_\_ समुदाय से संबंधित हैं जो भारत सरकार, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प सं -----  
-- दिनांक -----\* के अंतर्गत पिछड़ी जाति के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कु० ---  
----- तथा/या उनका परिवार सामान्यतः----- राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के ----- जिला/संभाग में रहता/रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वे भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं 36012/22/93-स्था (एससीटी), दिनांक 8.9.1993\*\* के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित नहीं हैं।

जिला मजिस्ट्रेट

दिनांक:  
इत्यादि

उपायुक्त

मुहर:

---

\*-प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के उस संकल्प के ब्योरे का उल्लेख करना होगा जिसमें अभ्यर्थी की जाति अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में उल्लिखित है।

\*\*-समय समय पर यथा संशोधित

टिप्पणी: यहां प्रयुक्त 'सामान्यतः' शब्द का वही अर्थ होगा जैसाकि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में दिया है।

..... सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम और पता)

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय और संपत्ति संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या \_\_\_\_\_ दिनांक \_\_\_\_\_  
 वर्ष ..... लिए मान्य

यह प्रमाणित करना है कि श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_  
 पुत्र/पुत्री/पत्नी \_\_\_\_\_ स्थायी निवासी \_\_\_\_\_ गाँव/गली  
 \_\_\_\_\_ डाकघर \_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_  
 राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र \_\_\_\_\_ पिन कोड \_\_\_\_\_ जिनकी फोटो  
 नीचे सत्यापित की गयी है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से हैं क्योंकि वित्त वर्ष  
 ..... के लिए उनकी /उनके 'परिवार' \*\* की कुल वार्षिक आय\*  
 8 लाख (केवल आठ लाख रुपये) से कम है। उनके/उसके परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई संपत्ति नहीं  
 है :

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि ;
  - II. 1000 वर्ग फुट या उससे अधिक का आवासीय फ्लैट ;
  - III. अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड ;
  - IV. अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड।
2. श्री/श्रीमती/कुमारी \_\_\_\_\_ का संबंध \_\_\_\_\_  
 जाति से है जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केंद्रीय सूची) के रूप में  
 मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर के साथ हस्ताक्षर.....

अभ्यर्थी के हाल  
 ही का पासपोर्ट  
 आकार का  
 अनुप्रमाणित  
 फोटोग्राफ

नाम .....  
 पदनाम.....

\* टिप्पणी 1: सभी स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशे आदि को शामिल करके कुल आय।

\*\* टिप्पणी 2: इस प्रयोजनार्थ 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन के साथ-साथ उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे।

\*\*\* टिप्पणी 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या अधिग्रहीत संपत्ति परीक्षण लागू करते समय विभिन्न स्थानों / शहरों में "परिवार" की सभी संपत्ति को शामिल कर लिया गया है।

खेल/खेलों के खिलाड़ी आयु में छूट के पात्र हैं

1. तीरंदाजी
2. एथलेटिक्स
3. बैडमिंटन
4. बास्केटबॉल
5. मुक्केबाज़ी
6. क्रिकेट
7. साईकल चलाना
8. घुड़सवार
9. फुटबॉल
10. जिम्नास्टिक
11. हॉकी
12. जूडो
13. कबड्डी/ सर्कल कबड्डी/ बीच कबड्डी
14. कराटे
15. खो-खो
16. तैराकी
17. निशानेबाजी
18. टेबल टेनिस
19. टेनिस
20. ट्रिथाथलोन
21. वोलिबॉल
22. कुश्ती
23. भारत्तोलन

पासपोर्ट आकार  
का फोटो जारी  
करने वाले  
अधिकारी के  
हस्ताक्षर सहित

(राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक मान्यता प्राप्त खेल में एक राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए)  
-----के खेल में -----का राज्य संघ

(राज्य ओलंपिक संघ से संबद्ध)

केन्द्र सरकार के तहत समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी-----  
पुत्र/पत्नी/पुत्री-----श्री-----  
-----, जन्मतिथि-----निवासी-----  
----- (पूर्ण पता)-----राष्ट्रीय  
प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के-----में दिनांक-----  
-----से-----तक आयोजित-----  
-----खेल/प्रतियोगिता में-----राज्य का  
प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/टीम द्वारा-----स्थान प्राप्त किया गया  
था।

यह प्रमाण पत्र-----राज्य संघ के कार्यालय में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर  
जारी किया गया है।

स्थान-----  
दिनांक-----

हस्ताक्षर-----  
नाम-----  
पदनाम-----  
-----  
राज्य संघ/परिसंघ का नाम-----  
पता-----  
मुहर-----

टिप्पणी: यह प्रमाण पत्र केवल राज्य संघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही मान्य होगा।

पासपोर्ट आकार का  
फोटो जारी करने वाले  
अधिकारी के हस्ताक्षर  
सहित

(अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में किसी एक मान्यता प्राप्त खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए)

-----का राष्ट्रीय संघ/राष्ट्रीय परिसंघ

(भारतीय ओलंपिक संघ से संबद्ध)

केंद्र सरकार के तहत समूह 'ग' एवं 'घ' सेवाओं में रोजगार के लिए मेधावी खिलाड़ियों का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी-----  
पुत्र/पत्नी/पुत्री----- श्री-----  
-----, जन्मतिथि-----निवासी-----  
----- (पूर्ण पता)-----  
प्रतियोगिता/टूर्नामेंट के----- में दिनांक-----  
-----से-----तक आयोजित-----  
-----खेल/प्रतियोगिता में----- भारत देश का  
प्रतिनिधित्व किया।

उपर्युक्त प्रतियोगिता/टूर्नामेंट में व्यक्तिगत/टीम द्वारा----- स्थान प्राप्त  
किया गया था।

यह प्रमाण पत्र----- राष्ट्रीय संघ/ राष्ट्रीय परिसंघ के कार्यालय में  
उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर जारी किया गया है।

स्थान-----

दिनांक-----

हस्ताक्षर-----

पदनाम-----

राज्य संघ/परिसंघ का नाम-----

पता-----

मुहर-----

टिप्पणी: यह प्रमाण पत्र केवल राष्ट्रीय संघ/ राष्ट्रीय परिसंघ के सचिव द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर होने पर ही  
मान्य होगा।

लंबाई अथवा सीने की माप में छूट चाहने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाणपत्र का प्रपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी \_\_\_\_\_ पुत्र/ पुत्री/  
पत्नी \_\_\_\_\_ श्री \_\_\_\_\_, गाँव \_\_\_\_\_, तहसील/तालुका \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ जिला \_\_\_\_\_ राज्य \_\_\_\_\_ के स्थायी निवासी हैं।

2. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि:

\* वह पहाड़ी क्षेत्र अर्थात् गढ़वाली, कुमायूनी, गोरखा, डोगरा, मराठा का/की निवासी है और और अभ्यर्थी सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर घाटी/ कश्मीर क्षेत्र, जम्मू और लद्दाख राज्य/ संघ राज्य-क्षेत्र का/की हैं।

\* वह अनुसूचित जनजाति के/की हैं।

हस्ताक्षर

जिला मजिस्ट्रेट/मंडलीय मजिस्ट्रेट/तहसीलदार

दिनांक:

स्थान:

\* जो भी लागू नहीं हो उसे काट दें।

अभ्यर्थी को दिल्ली पुलिस के मल्टी-टास्किंग या सेवारत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत पुलिस कार्मिक के अभिभावक होने का प्रमाण-पत्र.

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती \_\_\_\_\_ (पुलिस कार्मिक का नाम) रैंक \_\_\_\_\_ रेंज/ कॉन्स्टेबुलरी संख्या. / पीआईएस संख्या. \_\_\_\_\_ जिला/ इकाई में/से दिनांक को / से सेवारत/ सेवानिवृत्त/ दिवंगत/ \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ हैं। उनकी /उनका पुत्र \_\_\_\_\_ (नाम) दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (ड्राइवर)-पुरुष भर्ती परीक्षा, 2022 में अनंतिम रूप से भाग लेना चाहता है।

संबन्धित जिला/ ईकाई के डीसीपी/ अ.डीसीपी/ एसीपी/एचक्यू के हस्ताक्षर  
(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांक: -----

अभ्यर्थी को विभागीय अभ्यर्थी के रूप में दर्शाने वाला प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती \_\_\_\_\_ (पुलिस कार्मिक का नाम), रेंज/ कोंस्टेबूलरी/ बेल्ट संख्या. \_\_\_\_\_ और पीआईएस संख्या. \_\_\_\_\_ दिल्ली पुलिस में दिनांक. \_\_\_\_\_ को नियुक्त किया गया था और वर्तमान रैंक/ विभाग में तीन वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं। वह वर्तमान में \_\_\_\_\_ दिल्ली पुलिस के जिला/ ईकाई में तैनात हैं और दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल (ड्राइवर) -पुरुष भर्ती की परीक्षा में अनंतिम रूप से भाग लेना चाहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि ये दिनांक \_\_\_\_\_ को परिवीक्षा की अवधि को संतोषजनक ढंग से पूरी कर चुके हैं और अपनी सेवा के दौरान इन्हें.....बड़ी शास्ति और .....छोटी शास्ति दी गई है। वर्तमान में इनके विरुद्ध कोई भी वि.जां/ प्रा.जां./ आपराधिक मुकदमा लंबित नहीं है (अगर हैं तो उसकी वर्तमान स्थिति बताएं)।

संबन्धित जिला/ इकाई के डीसीपी/ अ.डीसीपी/ एसीपी/एचक्यू के हस्ताक्षर  
(अधिकारी का नाम एवं पदनाम मुहर सहित)

दिनांक: -----

टिप्पणी:- 'विभागीय अभ्यर्थी' से तात्पर्य उस व्यक्ति से है जिसने ऑनलाईन आवेदन प्राप्ति की आखिरी तिथि (अर्थात् 29.07.2022) तक दिल्ली पुलिस में न्यूनतम तीन वर्ष की नियमित और निरंतर सेवा की है और जो अन्यथा सभी शैक्षणिक एवं अन्य शारीरिक योग्यताएँ पूरी करते हों।

आवश्यक शैक्षिक योग्यता कोड

शैक्षिक योग्यता	कोड
मैट्रिकुलेशन/दसवीं कक्षा उत्तीर्ण	01
इंटरमीडिएट/ उच्च माध्यमिक/10+2	02
प्रमाणपत्र	03
डिप्लोमा	04
बी. ए.	05
बी. ए. ( आनर्स)	06
बी. कॉम	07
बी. कॉम (आनर्स)	08
बी. एससी.	09
बी. एससी. (आनर्स)	10
बी. एड.	11
एल. एल. बी.	12
बी. ई.	13
बी. टैक.	14
ए. एम. आई. ई. (भाग क एवं भाग ख)	15
बी. एस. सी. (इंजी)	16
बी. सी. ए.	17
बी. बी. ए.	18
रक्षा (भारतीय सेना, वायु सेना, नौ सेना) द्वारा जारी स्नातक डिग्री	19
पुस्तकालय स्नातक	20
बी. फार्मा	21
आई सी डब्ल्यू ए	22
सी. ए.	23
पी. जी. डिप्लोमा	24
एम. ए.	25
एम. कॉम.	26
एम. एससी.	27
एम. एड.	28
एल. एल. एम	29
एम. ई.	30
एम. टैक	31
एम. एससी. (इंजी.)	32
एम. सी. ए	33
एम. बी. ए	34
अन्य	35

अभ्यर्थी द्वारा प्रदान की जाने वाली वैध ड्राइविंग लाइसेंस की सूचना, ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति (प्रतियों)  
सहित

1. शुरुआती ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाले परिवहन प्राधिकारी का नाम :-  
\_\_\_\_\_
2. शुरुआती ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और चलाने के लिए अधिकृत वाहन का प्रकार :-  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. भारी मोटर वाहन / भारी परिवहन वाहन के लिए प्राधिकरण/अनुमोदन का दिनांक  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
4. वर्तमान ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
5. दिनांक \_\_\_\_\_ से \_\_\_\_\_ तक मान्य ।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

नाम : \_\_\_\_\_

अनुक्रमांक सं. \_\_\_\_\_

सदस्य

सदस्य

अध्यक्ष